भाग—1

न्यायालय :— अपर सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला

पीठासीन अधिकारी :: अनुभव सिडाना
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या :: 25/2023

सी.आई.एस. नम्बर :: 84/2017

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :: 32/2017, पुलिस थाना भोपालगढ़

CNRNo. RJJR-01-000841-2017

पृष्ठ संख्या— 1 ता 41 व पैरा संख्या—1 से 34 तक

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रस्तुत द्वारा	अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	1. श्रवणराम उर्फ सेवाराम पुत्र बक्साराम, 2. घनश्याम पुत्र मदनलाल, निवासीगण मेहरा चौक, पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जाधपुर।
अधिवक्ता	1.श्री मयंक रांकावत, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य 2. श्री सुनिल मेहता, विद्वान अधिवक्ता वास्ते परिवादी। श्री भागीरथ चौधरी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

ख

घटना की दिनांक	26/02/2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	26/02/2017
चालान की दिनांक	02/06/2017
आरोप विरचन की दिनांक	26/02/2018
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	13/12/2018
निर्णय दिनांक	30/06/2026
सजा आदेश यदि हो तो	सजा

ग अभियुक्त की सूचना

क्र. सं.	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहायी की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त/ दोषसिद्ध	आरोपित सजा	धारा 428द. प्र.सं. समायोजन समयावधि
1	श्रवणराम उर्फ सेवाराम	06/03/17	12/10/17	341, 323 अथवा 323/34, 307 अथवा 307/34, 302 भादसं.	धारा 307 अथवा 307/37 व 302 अथवा 302/34 भा.दं.सं. में दोषमुक्त एवं धारा 341, 323 एवं 325 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध	धारा 341 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के लिये 3 माह के साधारण कारावास एवं 500/– रूपये अर्थदण्ड अदम अदायगी अर्थदण्ड 7 दिन का अतिरिक्त कारावास। धारा 323 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के लिये 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 /– रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 325 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के लिये 4 वर्ष के साधारण कारावास एवं 20,000/– रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का अतिरिक्त कारावास।	नियमानुसार
2	घनश्याम	06/03/17	19/09/17	341, 323 अथवा 323/34, 307 अथवा 307/34, 302/34 भादसं.	धारा 307 अथवा 307/37 व 302 अथवा 302/34 भा. दं.सं. में दोषमुक्त एवं धारा 341 एवं 323 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध	धारा 341 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के लिये 3 माह के साधारण कारावास एवं 500/–रूपये अर्थदण्ड अदम अदायगी अर्थदण्ड 7 दिन का अतिरिक्त कारावास। धारा 323 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के लिये 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500/– रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का अतिरिक्त कारावास	नियमानुसार

भाग–2

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय गवाह सूची

कः अभियोजन गवाह

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
1	पीडब्ल्यू–1 लालाराम	ताईद प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	पीडब्ल्यू–2 कन्हैयालाल	मौतबीर मौका व गवाह
3	पीडब्ल्यू–3 सुभाष मेघवाल	मौतबीर मौका व गवाह

4	पीडब्ल्यू—4 मीरा	आहत एवं चश्मदीद गवाह
5	पीडब्ल्यू—5 पतासी	आहत एवं चश्मदीद गवाह
6	पीडब्ल्यू—6 जोगाराम	जोगाराम
7	पीडब्ल्यू—7 भोमाराम	मौतबीर जब्ती लाठी व नक्शा नजरी
8	पीडब्ल्यू—8 डॉ.ऋषिराज शर्मा	चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट देना
9	पीडब्ल्यू—9 डॉ.शिल्पा अग्रवाल	पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल सदस्य
10	पीडब्ल्यू—10 भंवरलाल	गवाह
11	पीडब्ल्यू—11 रणजीत	गवाह
12	पीडब्ल्यू—12 श्यामलाल	मौतबीर फर्द सूरतहाल, पंचनामा, सुपुर्दगीलाश, पेशकर्ता पारचात
13	पीडब्ल्यू—13 रामूराम	मौतबीर फर्द सूरतहाल, पंचनामा, सुपुर्दगीलाश, पेशकर्ता पारचात
14	पीडब्ल्यू—14 प्रेमाराम	गवाह मौतबीर पंचनामा
15	पीडब्ल्यू—15 डॉ.शरद थानवी	मृतक पदमाराम का इलाज करना, भर्ती टिकट
16	पीडब्ल्यू—16 डॉ.ईमरान सेठी	पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल सदस्य
17	पीडब्ल्यू—17 डॉ.मुक्तेश्वर गुप्ता	पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल सदस्य
18	पीडब्ल्यू—18 जयमलराम	कायमी मुकदमा तफ्तीशी हालात
19	पीडब्ल्यू—19 पूनाराम	गवाह
20	पीडब्ल्यू—20 राजीव भादू	तफ्तीशी हालात, नतीजा देना

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज सूची

कः अभियोजन दस्तावेज सूची

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
1	प्रदर्शपी—1	लिखित रिपोर्ट
2	प्रदर्शपी—2	नक्शा मौका व हालात मौका
3	प्रदर्शपी—3	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम श्रवणराम उर्फ सेवाराम
4	प्रदर्शपी—4	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम घनश्याम
5	प्रदर्शपी—5	फर्द जब्ती बोरडी की लाठी द्वारा मुलजिम श्रवणराम की प्रति
6	प्रदर्शपी—6	फर्द नक्शा नजरी बरामदगी लाठी की प्रति
7	प्रदर्शपी—7	चोट प्रतिवेदन मजरूब लालाराम
8	प्रदर्शपी—8	चोट प्रतिवेदन मजरूब रणजीत
9	प्रदर्शपी—9	चोट प्रतिवेदन मजरूबा मीरा
10	प्रदर्शपी—10	चोट प्रतिवेदन मजरूब पदमाराम
11	प्रदर्शपी—11	मजरूब लालाराम के लगी चोट के संबंध में एक्स—रे बाबत राय
12	प्रदर्शपी—12	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक पदमाराम
13	प्रदर्शपी—13	फर्द सूरतहाल लाश मृतक पदमाराम
14	प्रदर्शपी—14	फर्द पंचनामा लाश मृतक पदमाराम
15	प्रदर्शपी—15	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक पदमाराम

16	प्रदर्शपी—16	फर्द पेशकर्ता पारचात मृतक पदमाराम
17	प्रदर्शपी—17	ऑपरेशन करने हेतु सहमति फॉर्म
18	प्रदर्शपी—18	ऑपरेशन नोट्स
19	प्रदर्शपी—19	इत्तला धारा—27 सा.अधि. द्वारा मुलजिम श्रवणराम उर्फ सेवाराम
20	प्रदर्शपी—20	फर्द जब्ती बोरडी की लाठी द्वारा मुलजिम श्रवणराम उर्फ सेवाराम
21	प्रदर्शपी—21	फर्द नक्शा नजरी बरामदगीस्थल लाठी
22	प्रदर्शपी—22 से 24	मजरूब पदमाराम के बयान दस्ती द्वारा लिए जाने के संबंध में पत्राचार
23	प्रदर्शपी—25	पोस्टमार्टम हेतु थानाधिकारी द्वारा जारी पत्र
24	प्रदर्शपी—26	पोस्टमार्टम हेतु जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पत्र
25	प्रदर्शपी—27	मेडिकल बोर्ड गठन
26	प्रदर्शपी—28	चालान शव डॉक्टरी परीक्षण हेतु
27	प्रदर्शपी—29	मृतक पदमाराम व इलाज व भर्ती बेड टिकट की प्रमाणित प्रति दिलाने हेतु
28	प्रदर्शपी—30	प्रथम सूचना रिपोर्ट
29	प्रदर्शपी—31	अंतिम फॉर्म रिपोर्ट
30	प्रदर्शपी—32	फोटोग्राफ
31	प्रदर्शपी—33	एक्स—रे रिपोर्ट

ख अभियुक्त दस्तावेज सूची

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
1	प्रदर्शडी—1	पुलिस बयान लालाराम
2	प्रदर्शडी—2	पुलिस बयान कन्हैयालाल
3	प्रदर्शडी—3	पुलिस बयान सुभाष
4	प्रदर्शडी—4	पुलिस बयान श्रीमती मीरा
5	प्रदर्शडी—5	चोट प्रतिवेदन अभियुक्त श्रवणराम
6	प्रदर्शडी—6	चोट प्रतिवेदन सुगणा देवी
	प्रदर्शडी—7	पुलिस बयान रणजीत
	प्रदर्शडी—8	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—33/2017
	प्रदर्शडी—9	पीएस भोपालगढ में अभियुक्त श्रवणराम द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत
	प्रदर्शडी—10	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—22/2017

:: निर्णय :: **दिनांकः 30/06/2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी लालाराम ने पुलिस थाना भोपालगढ़ में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि दिनांक 26/02/2017 को वक्त करीब सुबह 11:30 ए.एम. पर उसकी माताजी उसके घर के

सामने बनी नाली में से कचरा निकाल रही थी, उसी वक्त गीता पत्नी बक्साराम उसकी मां के पास आई और नाली से कचरा निकालने हेतु मना किया और नही मानने पर जान से मार देने की धमकी देकर चली गई। थोड़ी देर बाद ही सेवाराम, मुकेश, घनश्याम, सज्जन, राकेश, भंवरी, सुगनाई, महीपाल, गणपतराम व दो—तीन अन्य व्यक्तियों ने एकराय होकर उसके घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया, तब उसने देखा उनके हाथों में लाठियां, सरिया व पत्थर आदि थे। मुकेश ने आते ही मीरा को पकड़कर चोटी आदि से खींच कर नीचे गिरा दी और अन्य व्यक्तियों ने लाठियों, सरियों से उसके परिवार के सदस्य पर हमला कर दिया, जिस कारण उसे, उसके पिता पदमाराम, भाई रणजीत तथा उसकी मां के भी चोटें आई। जब ये दर्द के मारे चिल्लाये तो चिल्लाने की आवाज सुनकर श्यामलाल, कन्हैयालाल, सुभाष, प्रेम आदि ने उन्हें छुड़ाया आदि रिपोर्ट पर पुलिस थाना भोपालगढ़ में प्रकरण संख्या 32/2017 पंजीबद्ध किया जाकर बाद अनुसंधान मुलजिमान श्रवणराम उर्फ सेवाराम व घनश्याम के विरुद्ध जुर्म धारा 341, 323, 307, 302/34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से यह प्रकरण सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला के समक्ष आरोपों की अन्वीक्षा हेतु उपार्पित होकर प्राप्त हुआ, जहां से यह प्रकरण कालान्तर में अन्तरित होकर विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विचारण आरम्भ किया गया।

2. अभियुक्तगण श्रवणराम उर्फ सेवाराम व घनश्याम को धारा 341, 323 अथवा 323/34, 307 अथवा 307/34, 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप अलग से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, जिन्हें सुन व समझ कर अभियुक्तगण ने आरोपित आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् लेखबद्ध किये गये, जिसमें उन्होंने गवाहों के कथनों को गलत होना तथा स्वयं को निर्दोष होना बताया। साक्ष्य सफाई पेश करते हुए अभियुक्त श्रवणराम द्वारा कमठे मजदूरी के पैसे लेने कस्बे में जाना तथा उसके द्वारा मोटरसाईकिल से कस्बे में गली के तिराहे पर रूकना तथा अपनी माता गीता देवी को आवाज देकर बुलाने पर उसको आया देखकर मृतक पदमाराम द्वारा ललकारते हुए अपने घर से लाठी लेकर आना तथा आते ही तिराहे पर खड़े हुए के उसके सिर पर मारना तथा जिसका

मुकदमा उसके द्वारा दर्ज करवाना, जिसमें पुलिस वालों द्वारा अपराध साबित मानने बाबत कथन किये है। पदमाराम का आपसी धक्का मुक्की से सीसी ब्लॉक सड़क पर गिरना, जिससे पदमाराम की 12 दिन बाद मृत्यु होना कथन किया तथा उसे नाली की बात को लेकर आपसी रंजिश के कारण झूठा फंसाये जाने का कथन किया। अभियुक्त घनश्याम द्वारा मृतक पदमाराम के साथ कोई मारपीट नहीं करने के कथन करते हुए पदमाराम द्वारा श्रवणराम के साथ लाठी से मारपीट करना तथा इनको छुड़वाने व धक्का मुक्की के कारण सी.सी. ब्लॉक सड़क पर गिरने से उसके सिर पर चोट आना तथा उनके द्वारा मारपीट नहीं करना तथा उसे झूठा फंसाये जाने का कथन किया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शडी–1 से प्रदर्श डी–10 प्रदर्शित करवाये गये।

4. बहस अंतिम सुनी गयी।

5. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के साक्षीगण आपस में रिश्तेदार होकर हितबद्ध है तथा अनुसंधान में पुलिस कर्मी गवाहान है, जिनकी साक्ष्य पर स्वतंत्र गवाह के अभाव में विश्वास नहीं किया जा सकता। परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त श्रवणराम के साथ मारपीट कर चोटें कारित की गयी थी तथा बीच बचाव के दौरान पदमाराम जो कि वृद्ध व्यक्ति होने के कारण तथा धक्का मुक्की के दौरान व लोगों द्वारा छुड़ाने के दौरान व बीच बचाव के दौरान सी.सी. ब्लॉक की बनी सड़क पर गिरने से पदमाराम व अन्य लोगों के चोटें कारित हुई है। अभियुक्त पक्ष के चोटें परिवादी पक्ष द्वारा कारित की गयी, जिसका मुकदमा भी परिवादी पक्ष के विरूद्ध अभियुक्त पक्ष द्वारा किया गया था। मृतक पदमाराम वृद्धावस्था के कारण हड्डिया कमजोर होने व धक्का मुक्की के कारण लोगों के द्वारा बीच बचाव के कारण गिरने से आई चोटों के कारण हुई है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा किसी भी स्वतंत्र को मौतबीर नहीं बनाया तथा पास में एस.डी.एम. कार्यालय भी था तथा आबादी क्षेत्र होने के बावजूद भी किसी भी स्वतंत्र गवाह को मौतबीर नहीं रखा गया। परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्तगण को रंजिश के कारण इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन गवाहान के कथनों मे महत्वपूर्ण तथ्यों बाबत भारी विरोधाभासी तथ्य प्रकट हुए है। प्रकरण में बरामद लाठी जैसी लाठी ग्रामीण परिवेश के हर घर में आसानी से मिल सकती है तथा बरामद लाठी पर कोई खून के निशान नहीं थे तथा न सीलचेपा युक्त थी। गवाहान कन्हैयालाल घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था

तथा उक्त गवाह मौके पर गया तब तक उसके बड़े भाई के चोट लग चुकी थी और जमीन पर गिरे हुए थे। परिवादी पक्ष ने सोच समझ कर एक राय होकर अभियुक्तगण के नाम रिपोर्ट लिखवाये थे। प्रकरण में चोट लाठी या सरिये से मारी गयी हो, इस संबंध में गवाहान के कथनों में भारी विरोधाभास प्रकट हुआ है। चिकित्सकीय गवाहान ने भी दोनों मजरूबान के चोटें धक्का मुक्की के दौरान आने से इन्कार नहीं किया है तथा मृतक पदमाराम जो कि वृद्ध व्यक्ति होने तथा हड्डिया कमजोर होने के कारण धक्का मुक्की के दौरान सी.सी. ब्लॉक से बनी सड़क पर नीचे गिरने से चोटें आने से इन्कार नहीं किया है। परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त पक्ष के साथ मारपीट की गयी है, जिसको स्वयं अनुसंधान अधिकारी राजीव भादू ने दौराने साक्ष्य स्वीकार किया है तथा प्रकरण के क्रॉस मुकदमा होने के भी तथ्य को स्वीकार किया है, जिसमें मृतक पदमाराम द्वारा अभियुक्त श्रवणराम को ललकारते हुए लाठी से मारपीट किये जाने के तथ्य को बताया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध बाबत ऐसी कोई कड़बद्ध साक्ष्य, विश्वसनीय एवं सारगर्भित साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, जिससे यह प्रकट हो कि अभियुक्तगण ने आरोपित अपराध कारित किया हो। इस प्रकार अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाया है। अंत में विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की।

6. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने दौराने बहस यह तर्क दिया कि अभियोजन द्वारा अपनी कड़ी बद्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों संदेह से परे साबित किया गया है। अंत में अभियुक्तगण को उक्त आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

> आया अभियुक्तगण ने दिनांक 26 / 02 / 2017 को वक्त 11:30 एएम बजे या उसके आसपास ग्राम भोपालगढ़ में जाटों के बास से मेहरा चौक जाने वाली गली में परिवादी पक्ष का सदोष अवरोध कारित कर मजरूबान लालाराम, रणजीत व श्रीमती मीरा के साथ कुंद हथियार से मारपीट कर मजरूबान् को साधारण उपहतियां कारित की तथा मजरूब लालाराम,

रणजीत व श्रीमती मीराम के शरीर पर चोटें इस आशय, ज्ञान और परिस्थितियों में पहुंचाई कि यदि इससे उनकी मृत्यु होती तो अभियुक्तगण उनकी हत्या के अपराध के दोषी होते तथा मजरूब पदमाराम की हत्या करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में पदमाराम के सिर पर लाठी से वार कर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या की? यदि हॉ तो उपयुक्त दण्ड क्या होगा?

8. **अवधार्य प्रश्न का विनिश्चय :–**
अभियोजन के पक्ष में आंशिक रूप से अभिनिर्धारित किया गया।

9. **अवधार्य प्रश्न पर विनिश्चय का कारण :**

उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू–1 लालाराम ने सशपथ कथन किया कि वह मुलजिमान श्रवणराम उर्फ सेवाराम व घनश्याम को जानता है। दिनांक 26.02.2017 को सुबह करीब साढे ग्यारह बजे इसकी माताजी नाली साफ कर रही थी, उसी वक्त गीतादेवी आयी और उसकी माताजी को नाली में से कचरा निकालने से मना किया व जान से मारने की धमकी देने लगी और वहां से चली गयी। थोडी देर बाद में श्रवणराम उर्फ सेवाराम, घनश्याम, मुकेश, भरत, सज्जन, गीतादेवी, भंवरी, सज्जाई सभी हाथ में लाठियां वगैरा लेकर उसके घर के पास में आये, आते ही उसके व उसके पिताजी पदमाराम, भाई रणजीत व पत्नी मीरा व माता पतासी देवी के साथ में मारपीट करने लग गये, जिससे इन सभी के चोटें आयी थी। उसके सिर मे चोट लगी थी, जिससे पांच टांके आये थे, उसके अंगुली के चोट भी लगी थी। चिल्लाने पर आवाज सुनकर कन्हैयालाल, सुभाष, श्यामलाल व प्रेम दौडकर आये व उन्हें छुडाया। इन लोगों ने घटना से पन्द्रह दिन पहले उसके भाई प्रेमाराम के साथ में मारपीट की थी, जिससे उसके मुंह पर चोट आयी थी। उसने थाने जाकर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पेश की थी। इसने घटना स्थल का मौका मुआयाना करवाया था, जिसकी फर्द नक्शा व हालात मौका प्रदर्श पी–2 तैयार किया। उसके शरीर पर आयी चोटों का पुलिस ने भोपालगढ अस्पताल ले जाकर मेडिकल मुआयाना करवाया था। उसके पिताजी के चोट आने पर उनको एमडीएम अस्पताल जोधपुर में ईलाज हेतु लेकर आये थे और वो एमडीएम अस्पताल में भर्ती रहे थे, फिर ईलाज के दौरान उसके पिताजी पदमारामजी की मृत्यु

हो गयी थी।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि वह बी.ए. तक पढ़ा लिखा है। एफ.आई.आर. प्रदर्शपी—1 उसने नहीं लिखी थी, उसके दोस्त ने लिखी थी, लेकिन उसने लिखवायी थी। पुलिस में उसके बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्शडी—1 का ए से बी भाग उसने पुसिल वालों को नहीं लिखाया था। मुल्जिम श्रवणराम का मकान उसके मकान से एक बाड़ा व एक मकान छोड़कर है। उसके सिर में चार या पॉच टांके आये थे। उसके सिर में मुल्जिमान घनश्याम व श्रवणराम उर्फ सेवाराम ने चोट मारी थी। उसके पिताजी पदमाराम के सिर में पहले श्रवणराम ने तीन—चार लाठियों की चोटें मारी थी, फिर उसके पिताजी नीच गिर गये थे, उसके बाद में घनश्याम ने लाठियों की उनके सिर में मारी थी। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि मुल्जिम श्रवणराम चौरोह पर खड़ा हो और उसके पिताजी पदमाराम घर में से लाठी लेकर गये और श्रवणराम के सिर में लाठी की मारी, फिर श्रवणराम ने उसके पिताजी से लाठी छीनकर उनके सिर में मारी हो। उसको इस बात का ध्यान नहीं कि मुल्जिम श्रवणराम ने उनके विरूद्ध मारपीट का कोई मुकदमा पीपाड़ थाने में दर्ज करवाया हो।

पीडब्ल्यू—2 कन्हैयालाल ने सशपथ कथन किया कि दिनांक 26 / 02 / 2017 को वह अपनी दुकान से घर पर दस ग्यारह बजे खाना खाने के लिए गया हुआ था, तो सामने से लडाई की आवाज सुनी थी, तो वह भाग कर घर के बाहर गया तो मुलजिमान श्रवणराम व घनश्याम, उसके बडे पिताजी पदमाराम के साथ मारपीट कर रहे थे, एक के हाथ में लगिया व एक के हाथ में लाठी थी। उसी समय छुडाने के लिए लालाराम, मुकेश, व दो—चार अन्य और छुडाने के लिए आ गये थे, लालाराम के साथ में भी इन लोगों ने मारपीट की थी। पदमाराम के साथ में मारपीट ज्यादा हुयी थी। मीरा के साथ में मारपीट हुयी थी। बाद में वे पदमाराम व लालाराम को अस्पताल लेकर गये थे, पदमाराम को भोपालगढ से जोधपुर रैफर कर दिया था। फिर चार पांच दिन में पुलिस घटनास्थल का मौका देखने आये थे, वह भी वहां पर मौजूद था, पुलिस ने मौका देखकर नक्शा व हालात मौका की फर्द प्रदर्श पी—2 तैयार की थी फिर बाद में पदमाराम की जोधपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि उसके पिताजी के दो भाई क्रमशः पदमाराम व प्रतापराम थे। पदमाराम का देहान्त हो गया, जिनकी पत्नी का नाम पतासी है। पदमाराम के पांच पुत्र लालाराम, अशोक, प्रेमाराम, रणजीत व जितेन्द्र है।

प्रतापराम के बेटे का नाम श्यामलाल है, जो इस मुकदमें में गवाह है। मीरा लालाराम की पत्नी है, जो मृतक पदमाराम की पुत्रवधु है। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि पानी की नाली जहॉ मुल्जिमानों का मकानात है, वहां से हल्ला उसके घर तक सुनाई नहीं देता है। उसकी दुकान घटनास्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वह खाना खा रहा था उस समय गली में हो– हल्ला की आवाज सुनी तब वह मौके पर गया था तब मौके पर अडौस–पडौस के 20–30 लोग वहां पर मौजूद थे। वह मौके पर गया तब उसके बड़े पिताजी के चोट लग चुकी थी और जमीन पर गिरे हुए थे। फिर उसके आते ही इनको अस्पताल लेकर वह तथा सुभाष लेकर गये थे। पदमाराम की ईलाज के दौरान 9–10 दिन बाद में मौत हो गयी थी। अस्पताल से पुलिस थाना भोपालगढ करीब 50 पाउण्डा की दूरी पर आया हुआ है और उनके घर से दो किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। पुलिस वाले भोपालगढ़ अस्पताल में आ गये थे। उस समय उन्होने घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। रिपोर्ट लालाराम ने लिखी थी। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उन सभी परिवार वालों ने सोच–विचार कर एक राय होकर मुल्ज्मानों के नाम रिपोर्ट में लिखे थे। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि इस गंदे पानी की नाली को लेकर मृतक पदमाराम व मुल्जिमान के परिवारों के बीच आपस में बोलचाल होती रहती है। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसके घटनास्थल पर पहुंचने के बाद में सेवाराम उर्फ श्रवणराम, घनश्याम ने उसके बड़े पिताजी पदमाराम के साथ कोई मारपीट नहीं की हो। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि श्रवणराम उर्फ सेवाराम के साथ ही इस घटना के मौके पर आने के बाद मारपीट मारपीट हुई थी, जिससे उसके सिर में चोट आई थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि मुल्जिम श्रवणराम ने उसके परिवार वालों के खिलाफ पुलिस थाना भोपालगढ़ में मुकदमा दर्ज करवाया हो। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उस मुकदमे में उसका नाम भी मुल्जिम के तौर पर लिखा हुआ है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि पदमाराम के मकान का पानी नाली में बहते हुए मुल्जिमान के मकान के आगे से बहता है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि पदमाराम की पत्नी पतासी व सकी पुत्र वधु मीरा अपने बच्चों को नाली में लेट्रिन करवाती थी और बाद में पानी में बहा देती थी, जिससे वो गन्दा पानी मुल्जिमान के घर के आगे बहता था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि इस गन्दे पानी की बात को लेकर पदमाराम की पत्नी पतासी, पदमाराम की पुत्र लालाराम और मुल्जिमानों के घर की औरतों के बीच आपस

में बोलचाल व लड़ाई–झगड़ा हुआ था।

पीडब्ल्यू–3 सुभाष मेघवाल ने सशपथ कथन किया कि दिनांक 26/02/2017 के सुबह साढे दस बजे यह अपनी दुकान पर सिलाई का काम कर रहा था। उस समय मोहल्ले वालों ने उसको बताया था कि उसके मामाजी के साथ में झगडा हो रहा हैं तब वह दौडकर वहां पर गया था। तब उसने देखा कि सेवाराम उर्फ श्रवणराम, घनश्याम, मुकेश वगैरा उसके मामा पदमाराम व उसके पुत्र लालाराम के साथ मारपीट कर रहे थे। श्रवण के हाथ में लोहे का सरिया था। श्रवणराम उर्फ सेवाराम ने सरिये की पदमारामजी के सिर पर मारी थी, जिससे वो लहुलूहान हो गया था। पदमाराम थोडी देर बाद में बेहोश हो गया था। फिर उन्होंने बीच बचाव किया था। पदमाराम को भोपालगढ अस्पताल लेकर गये थे। वहां पर जोधपुर मथुरा दास माथुर अस्पताल में रैफर कर दिया। वहां पर ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी थी। वह मुल्जिमानों को जानता है। पुलिस ने घटनास्थल को देखकर नक्शा व हालात मौका प्रदर्श पी–2 तैयार किया था।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि घटनास्थल से उसकी दुकान आधा किलोमीटर दूरी पर आई हुई है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसकी दुकान से न तो घटनास्थल वाली जगह दिखाई देती है ना ही वहां से हल्ला सुनाई देता है। घटना वाले दिन उसकी पेमाराम, कालुराम के साथ कोई किसी प्रकार की लड़ाई झगडे की बात नहीं हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि घटना वाले दिन हल्ला सुनकर वह दौड़कर तिराहे वाली गली में गया और उसने देखा तो उसके मामा पदमाराम नीचे जमीन पर पड़े थे, इनके सिर पर गंभीर चोट आई हुई थी और खून बह रहा था। वह मौके पर गया तब मुल्जिम सेवाराम उर्फ श्रवणराम के भी चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि जब वह घटनास्थल पर गया और उसके मामाजी को जमीन पर पड़ा देखा तो उस समय मोके पर आडौस–पडौस के 30–40 आदमी औरते, बच्चे उसके घर से पहले खड़े थे। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि पुलिस वालों ने मौके पर घटना के संबंध में रिपोर्ट देने की बात उन्हें कही थी तब उसने व लालाराम वगैरा ने यह कहा था कि वे बाद में सोच–समझ कर रिपोर्ट पेश कर देगे। परिवादी पक्ष व मुल्जिमान के बीच नाली के गन्दे पानी को लेकर बोलचाल व झगड़ा हुआ था।

पीडब्ल्यू–4 मीरा ने सशपथ कथन किया कि दिनांक 26/02/2017 को

सुबह 11:00 बजे वह घर में थी। उसके घर के बाहर पानी निकासी की नाली है। उसकी सास पतासी देवी नाली साफ कर रही थी। उसके घर के आगे मदनलाल का घर है। मदनलाल की पत्नी सुगनादेवी ने नाली निकालने से मना किया व गाली गलौच करने लगी और घर जाकर अपनी सास गीतादेवी को लेकर आई। वो भी गाली–गलौच करने लगी तब घर पर ससुर पदमाराम खड़े थे। फिर गीतादेवी अपने घर से श्रवण उर्फ सेवाराम, घनश्याम, मुकेश, भरत, सज्जन, राकेश उन सब को बुलाकर लेकर आई और उन सभी ने गाली–गलौच की। उन सब के हाथ में लाठियां व पत्थर थे और उन लोगों ने हम सब पर लाठियों व पत्थर से वार किये। श्रवणराम ने उसके ससुर पदमाराम के सिर पर लाठी से वार किया, जिससे वो नीचे गिर गये और नीचे गिरने के बाद भी उनके ऊपर कई बार वार किया। फिर उसके ससुर पदमाराम को अस्पताल लेकर गये, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मारपीट से उसके पति लालाराम व उसके शरीर पर काफी चोटें आई थी। उसका मेडिकल हुआ था। वह मुलजिमान को जानती है।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि वह पांचवी तक पढी हूं। उसके दो लड़के हैं। उसे अपने लड़कों की जन्म तारीख याद है एक की 08.02.14 व दूसरे की 26.11.16 है। उसका व घनश्याम का घर पास पास में है। श्रवणराम के घर व उसके घर के बीच में एक घर की दूरी है। इस घटना से पहले उनके व मुल्जिमान के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, आना जाना था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि यह घटना एकदम से ही नाली की बात को लेकर हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि श्रवणराम ने भी हमारे विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था। गवाह ने इस सुझाव इस इन्कार किया है कि श्रवणराम व घनश्याम के भी चोटें आई हो। श्रवणराम व घनश्याम कोई चोटें लगी ही नहीं थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि वहां पर श्रवण व घनश्याम के अलावा और लोगों ने भी वहां पर पत्थर फेंके थे। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि पदमाराम जी बोलचाल सुनकर बाहर आए थे। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि पदमाराम जी धक्का धूम होने की वजह से नीचे गिरें हों। गवाह ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि नीचे पत्थरेां की सड़क पर गिरने से पदमाराम जी के चोटें लगी हो और उनकी मृत्यु हो गई हो। पुलिस वालों ने उससे पूछताछ की थी तथा भोपालगढ थाने में बयान लिये थे। बयान घटना के दूसरे दिन लिये थे या

कितने दिन बाद लिये आज याद नहीं है। उसका मेडिकल घटना वाले दिन ही करवा दिया था। वह मेडिकल करवाने के बाद में थाने गई थी। रिपोर्ट किसने लिखी थी पता नहीं। परिवार के कुछ लोग जोधपुर अस्पताल गये थे और कुछ लोग थाने गये थे। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि वह जोधपुर अस्पताल नही आई थी, थाने गई थी। थाने पर कोई वकील साहब नहीं थे। **पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी थी।** रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर करवाए या नहीं उसे याद नहीं है। पदमाराम की मृत्यु घटना के दस दिन बाद एम डी एम अस्पताल में हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि पदमाराम जी की उम्र लगभग 70 साल थी। फिर कहा कि 70 साल के नहीं थे। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि वह मौके पर उपस्थित नहीं हूं एवं झूठी गवाह बनी हूं। गवाह ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि पदमाराम आपसी धक्का धूम में सड़क पर निचे गिरें हो जिससे उनके सिर पर चोटें आई हो और दस दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई हो।

पीडब्ल्यू—5 पतासी ने सशपथ कथन किया कि सात साल पहले की बात है। अमावस का दिन था। वह अपने घर के आगे नाली साफ कर रही थी, तब सुगनाई आई और उसे नाली से हटा दिया। फिर वो अपने घर गई और अपने घर से सेवाराम, घनश्याम, मुकेश, सुगनाई सब आए। घनश्याम व मुकेश के पास लोहे का सरिया, सेवाराम के पास लाठी थी। सेवाराम ने लाठी की उसके पीठ पर मारी थी। मीरा व लालाराम के साथ भी इन लोगों ने मारपीट की थी। फिर उन्हें छुड़ाने के लिए आस—पास के लोग आए और बीच बचाव किया। फिर उन लोगों ने पत्थर भी फेंके थे। उसका मेडिकल हुआ था। वह मुलजिमान को जानती है।

दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि इस घटना से पहले उनके व श्रवणराम के बीच में कोई मुकदमें बाजी/घटना/अदावती नहीं थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उन दोनों परिवार वाले एक दूसरे की शादी में आते जाते थे व राजीखुशी रहते थे। गवाह ने यह सुझाव भी स्वीकार किया कि यह घटना एकदम नाली की बात को लेकर बोलचाल हुई थी। उनके घर के आगे इंटों की पक्की रोड़ है। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि इस घटना में श्रवणराम व घनश्याम के भी चोटें आई हो। गवाह ने यह सुझाव भी स्वीकार किया कि मुल्जिम श्रवणराम ने भी उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था। गवाह ने यह सुझाव भी स्वीकार किया कि उस मुकदमें में उसका नाम भी लिखाया था जो झूठा लिखाया

था। गवाह ने यह सुझाव भी स्वीकार किया कि मुल्जिम श्रवणराम ने पदमाराम, लालाराम, खेमाराम, कन्हेयालाल, सुनिल, अरविन्द व उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था जो झूठा करवाया था उपरोक्त लोग बाद में आए थे। गवाह ने यह सुझाव भी स्वीकार किया कि जाखड़ों के बास से मेहरों के चौक की तरफ एक रास्ता जाता है, उस रास्ते से उनके घर जाने का रास्ता बीच में से निकलता है। उसके घर के पास में श्रवणराम व घनश्याम का घर नहीं है, उसके पुत्र प्रेम का मकान है। वह अपने पुत्र जितु व रेशम के साथ में रहती है। पदमाराम जी उसके साथ ही रहते थे परन्तु उनकी दुकान प्रेम के घर के पास में थी। दुकान प्रेम के घर के पास लालाराम के घर में थी। **वह घटना के बाद आई थी। उसने मारपीट होते हुए नहीं देखी थी।** गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने किसी मुल्जिम के हाथ में हथियार नहीं देखे हों। उसकी चोटों का भोपालगढ में मेडिकल हुआ था। उसको मुकेश ने मुक्के की मारी थी। अस्पताल पदमाराम के साथ वे भी गये थे। रिपोर्ट किसने लिखाई थी पता नहीं। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि नाली की बात को लेकर बोलचाल हुई तब पदमाराम जी बीच बचाव करने आए हों और धक्का धूम में इंटों की सड़क पर निचे गिरने के कारण उनके चोटें आई हो।

पीडब्ल्यू—6 जोगाराम ने सशपथ कथन किया कि सन् 2017 में पुलिस थाना भोपालगढ के अधिकारी ने अभियुक्त श्रवण उर्फ सेवाराम व घनश्याम मेघवाल को जरिये फर्द प्रदर्शपी— 3 व प्रदर्शपी—4 उसके सामने गिरफ्तार किया था।

दौराने जिरह गवाह ने गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 3 व 4 पर उसके हस्ताक्षर थाने में करवाए थे। उक्त दोनों मुल्जिमान को क्यों गिरफतार किया उसे जानकारी नहीं थी ना ही उसे बताया गया था।

पीडब्ल्यू—7 भोमाराम ने सशपथ कथन किया कि वह दिनांक 07 / 03 / 17 को पुलिस थाना भोपालगढ में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज आई.ओ. जयमलराम एएसआई ने सी.आर. संख्या 32 / 17 में मुलजिम श्रवणराम द्वारा घटना में प्रयुक्त लाठी को जरिये फर्द प्रदर्श पी—5 के जब्त किया था। नक्शा नजरी बरामदगी स्थल लाठी प्रदर्श पी—6 है।

दौराने जिरह गवाह ने गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि लाठी की सूचना उसके सामने नहीं दी हो। सूचना 01:10 बजे दी थी। उस समय वह तथा जोगाराम उपस्थित थे। उक्त सूचना 7 तारीख को दी थी। भोपालगढ थाने से

बरामदगी स्थल आधा किलोमीटर दूर है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि जिस दिन सूचना दी उस दिन लाठी की बरामदगी नहीं की थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि सूचना दिनांक 7.3.17 में मौतबिर वह तथा जोगाराम दोनो पुलिस कर्मी है। दिनांक 08.03.17 की बरामदगी व नक्शा नजरी में वह तथा जोगाराम पुलिसकर्मी है जो आई ओ के अधिनस्थ कार्य कर रहे थे। **गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मुल्जिम श्रवणराम से बरामदा लाठी पर कोई भी खून के धब्बे व निशान मौजूद नहीं है।** गवाह ने यह सुझाव भी स्वीकार किया कि बरामदगी स्थल व भोपालगढ थाना के आसपास लोगों की आवाजाही है व आबाद मकान आए हुए हैं जो मुख्य सड़क से जुड़े हुए है। उसके सामने आई ओ ने उक्त स्थानो से कोई भी स्वतंत्र मौतबिर तलब करने हेतु किसी को नहीं भेजा था। दिनांक 07.03.17 के रोज लाठी की बरामदगी नहीं करने का कोई कारण वह नहीं बता सकता है, आई ओ को पता होगा। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि बरामद शुदा लाठी जैसी लाठियां गांवों में आमतौर पर हर घर में मिल जाती है। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि मुल्जिम श्रवणराम ने उनके सामने कोई लाठी बरामदगी की सूचना नहीं दी हो। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि है कि मुल्जिम श्रवणराम ने उन्हें कोई भी लाठी बरामद नहीं करवाई हो।

पीडब्ल्यू–8 डॉ.ऋषिराज शर्मा ने सशपथ कथन किया कि वह दिनांक 26 / 02 / 17 को सीएचसी भोपालगढ में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज पुलिस थाना भोपालगढ के प्रतिवेदन पर इसने लालाराम के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया था, चोट संख्या 1– लेसेरेटेड वुण्ड जिसका आकार 3 सेमी गुणा 1 सेमी गुणा मसल डीप जो सिर के बाएं भाग पर कारित है, चोट संख्या 2– खरोंच 3 गुणा 1 सेमी बांयी भुजा पर, चोट संख्या 3 –खरोंच 2 गुणा 1 सेमी दायीं मध्य अंगुली पर। मजरूब ने शरीर पर जगह जगह दर्द होना जाहिर किया। सभी चोटें भोंटे हथियार से कारित की गई है। चोट संख्या–1 हेतु एक्स–रे की राय दी गई। चोट संख्या–2 व 3 सामान्य प्रकृति की थी। चोटों की अवधि 24 घण्टों के भीतर थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 है। उसी रोज मजरूब रणजीत के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया था। चोट संख्या 1– खरोंच 2 गुणा 1 सेमी ललाट पर बांयी ओर, चोट संख्या 2 –खरोंच 1 गुणा 1 सेमी निचले होंठ के नीचे की तरफ। सभी चोटें भोंटे हथियार से कारित की गई है। चोट संख्या 1 व 2 सामान्य प्रकृति की थी। चोट

प्रतिवेदन प्रदर्श पी–8 है जिस पर ए से बी मजरूब का पहचान चिन्ह व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उस रोज पुलिस थाना भोपालगढ के प्रतिवेदन पर उसने मीरा के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया था। मजरूबा के शरीर पर कोई जाहिरा चोटें नहीं पाई गई थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–9 है। उस रोज मजरूब पदमाराम पुत्र नागोराम के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया था। सभी चोटें भोंटे हथियार से कारित की गई है। चोट संख्या–1 हेतु एक्स–रे की राय दी गई। चोट संख्या–2, 3, 4 सामान्य प्रकृति की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–10 है। रेडियोलॉजिस्ट को एक्स रे हेतु भेजा गया लेटर प्रदर्श पी–11 है, जिस पर ए से बी इसका पृष्ठांकन है सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मजरूब लालाराम के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 में आई सभी चोटें सामान्य प्रकृति की है जो धक्का मुक्की में गिरने से आ सकती है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि मजरूब रणजीत के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 में आई सभी चोटें सामान्य प्रकृति की है जो धक्का मुक्की में गिरने से आ सकती है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 9 में मजरूबा मीरा के कोई जाहिरा चोटें नहीं पाई गई थी। **गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि मजरूब पदमाराम के आई सभी चोटें गिरने पड़ने से आने की संभावना है। प्रदर्श पी 10 में चोट संख्या 2, 3, 4 सामान्य प्रकृति की थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 10 में अंकित चोट संख्या 1 सीसी रोड़ पर धक्का मुक्की में गिरने से आ सकती है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि** उसी रोज उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 33/17 पी एस भोपालगढ के प्रतिवेदन पर मुल्जिम श्रवणराम का मेडिकल किया था जिसके निम्न चोटें पाई गई थी,चोट संख्या 1 लेसेरेटेड वुण्ड जिसका आकार 2 सेमी गुणा 1.5 सेमी गुणा मसल डीप जो सिर के दायें भाग पर कारित है, चोट संख्या 2– नीलगू 3 सेमी गुणा 2 सेमी दायें कंधे पर। मजरूब ने शरीर पर जगह जगह दर्द होना जाहिर किया। सभी चोटें भोंटे हथियार से कारित की गई है। चोट संख्या 1 हेतु ऐक्स रे की राय दी गई। चोट संख्या 2 सामान्य प्रकृति की थी। चोटों की अवधि 24 घण्टों के भीतर थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श डी 5 है जिस पर सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह व ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 33/17 पी एस भोपालगढ के प्रतिवेदन पर मुल्जिम सुगनादेवी पुत्री मदनलाल का

मेडिकल किया था जिसके निम्न चोटें पाई गई थी—चोट संख्या 1 — नीलगू 3 सेमी गुणा 2 सेमी दायें कंधे पर। मजरूबा ने शरीर पर जगह जगह दर्द होना जाहिर किया। चोट भोंटे हथियार से कारित की गई है। चोट सामान्य प्रकृति की थी। चोटों की अवधि 24 घण्टों के भीतर थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श डी 6 है जिस पर सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह व ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि बुढापे में हडिडयां कमजोर हो जाती है एवं थोड़ी से चोट से भी फैक्चर व हडडी टूटने की संभावना होती है। यह कहना सही है कि मजरूब पदमाराम ओल्ड ऐज में था जो लगभग 70 साल का था।

पीडब्ल्यू—9 डॉ. शिल्पा अग्रवाल ने सशपथ कथन किया कि वह दिनांक 09 / 03 / 2017 को एस.एन. मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ प्रदर्शक के पद पर कार्यरत थी। उस रोज पुलिस प्रतिवेदन पर पदमाराम का पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा किया गया था, जिसमें वह सदस्य के तौर पर शामिल थी। बोर्ड में डॉ. इमरान शेख अध्यक्ष एवं डॉ. मुक्तेश्वर गुप्ता सदस्य के तौर पर थे। मृतक का विसरा सैम्पल नहीं लिया गया था। पीएमआर रिपोर्ट प्रदर्श पी—12 है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मृतक पदमाराम की आयु प्रदर्श पी 12 में 68 साल पी एम आर में लिखी हुई है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि ओल्ड ऐज में हडिडयां कमजोर हो जाती है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 12 पर उसके हस्ताक्षर के अलावा उसकी अन्य कोई लिखावट नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 12 के अनुसार मृतक की मृत्यु घटना के 15 दिन बाद हुई थी। उसने मृतक पदमाराम का शव देखा था।

पीडब्ल्यू—10 भंवरलाल ने सशपथ कथन किया कि वह अपने भतीजे जालाराम के रिश्ते के लिए श्रवणराम के घर आया था। श्रवणराम घर पर नहीं थे। श्रवणराम के घर के पास मुकेशराम का घर है, उसके रिश्तेदार उसके घर पर आए हुए थे तो वह उनके पास बैठ गया। श्रवणराम का इंतजार किया। **फिर आधे घण्टे बाद श्रवण और मुकेश के घर से थोड़ी दूर पर तिराहा है, वहां पर बोलचाल होती सुनाई दी तो वह वहां पहुंचा और देखा कि श्रवणराम के सिर से खून आ रहा था और आपस में धक्का—मुक्की हो रही थी फिर लोग आए तो झगड़ा समाप्त करवा दिया।**

दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि यह कहना

सही है कि धक्का मुक्की में पदमाराम नीचे रोड़ पर गिर गये थे, जिससे इनके सिर में चोट आई थी। इस धक्का मुक्की में लालाराम के चोट आई या नहीं उसे पता नहीं। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि वहां पर काफी लोग थे और वो धक्का धूम में नीचे गिरे जिससे उनके चोटें आई थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि श्रवणराम के पदमाराम ने ही चोट मारी थी जो उसने आंखों से देखी थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि श्रवणराम और पदमाराम के बीच में गंदे पानी की निकासी की बात को लेकर बोलचाल हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि इस घटना से पहले इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था आपस में बहुत मेल मिलाप था।

पीडब्ल्यू–11 रणजीत ने सशपथ कथन किया कि दिनांक 26 / 02 / 2017 को उसके पिताजी दुकान पर बैठे थे। सेवाराम व घनश्याम आए और जबरदस्ती उनको उठाकर चौराहे पर लेकर गये और लकड़ी से मारपीट करने लगे। फिर वह भी घटनास्थल पर गया तो उसके साथ भी ये लोग मारपीट करने लगे। फिर उसका भाई लालाराम वहां पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की। फिर उनके घर की महिलाएं भी घटनास्थल पर पहुंची और उसकी भाभी मीरा, माता पतासी देवी के साथ मारपीट की। उसकी आंख पर व पिताजी के सिर पर चोट आई, भाई के सिर पर चोट आई। माताजी व भाभीजी के नीचे गिरने से खरोंचे आईं। फिर उन्हें अस्पताल लेकर गये। वहां इनका मेडिकल हुआ। फिर उसके भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दी थी।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि उसने दिनांक 28.07.2025 को उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया था कि ''दिनांक 26.02.2017 को उसके पिताजी दुकान पर बैठे थे। सेवाराम व घनश्याम पर आए और जबरदस्ती उनको उठाकर चौराहे पर लेकर गये और लकड़ी से मारपीट करने लगे। फिर मैं भी घटनास्थल पर गया तो उसके साथ भी ये लोग मारपीट करने लगे। फिर मेरा भाई लालाराम वहां पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की। फिर उनके घर की महिलाएं भी घटनास्थल पर पहुंची और मेरी भाभी मीरा, माता पतासीदेवी के साथ मारपीट की। '' यह बात उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 7 में नहीं है। पुलिस ने क्यों नहीं लिखी उसे पता नहीं है। उसने दिनांक 28.07.2025 को उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया था कि '' मेरे आंख पर व पिताजी के सिर पर चोट आई, भाई के सिर पर चोट आई। माताजी व भाभीजी के निचे गिरने से खरोंचे आई'' यह बात उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 7 में नहीं है।

पुलिस ने क्यों नहीं लिखी उसे पता नहीं है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे व पूछताछ की थी। उसके बयान पुलिस वालों ने घटना के कितने दिन बाद लिये याद नहीं है। यह उसे जानकारी नहीं है कि पुलिस वालों ने उसके बयान घटना के दो माह बाद लिये हों। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि दिनांक 26.02.2017 से लेकर 15.04.17 तक वह गावं में ही था कहीं बाहर नहीं गया था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि इस घटना से पहले मुल्जिम व उनके बीच में अच्छे संबंध थे व आवजाव था एवं कोई दुश्मनी नहीं थी। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रदर्श डी 7 का भाग ए से बी '' सुबह करीब...................बीच कहासुनी हो गई'' सही लिखा हुआ है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि प्रदर्श डी 7 का भाग सी से डी ''कहासुनी में...................झगड़ा होने'' सही लिखा हुआ है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि इस धक्का धूम व झगड़े में श्रवणराम के भी चोट लगी थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उनकी तरफ से उसके पिताजी पदमाराम, भाई लालाराम, वह, उसकी माता पतासी, भोजाई मीरा तथा दूसरी तरफ से सेवाराम, घनश्याम, गीता, सुगनाई, के बीच में धक्का धूम व गुत्थम–गुत्था हो गई। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि इस गुत्थमगुत्था में कोई इधर रोड़ पर गिर कोई उधर रोड़ पर गिरे जिससे उनके चोटें आई। वह रिपोर्ट करवाने के लिए साथ में नहीं गया था। पदमाराम जी के साथ अस्पताल गया था क्योंकि उसके भी चोट लगी थी। वह पदमाराम के साथ जोधपुर नहीं आया था केवल भोपालगढ तक ही गया था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके पिताजी की इस घटना के 15 दिन बाद मृत्यु हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि मुल्जिम सेवाराम ने भी उनके विरूद्ध इस घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसके इस घटना में कोई चोट नही लगी हो।

पीडब्ल्यू–12 श्यामलाल ने सशपथ कथन किया कि 26 / 02 / 2017 को दिन में 11–11:30 बजे पदमराम के साथ सेवाराम ने लकड़ी से मारपीट की, पदमाराम के सिर में चोट आने के कारण वह नीचे गिर गया। फिर उसे अस्पताल लेकर गये, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद पदमाराम को जोधपुर रैफर कर दिया। बाद में दिनांक 08 / 03 / 2017 को दौराने इलाज पदमाराम की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा पदमाराम की फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श पी–13 बनाई। फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी–14 है। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–15 है। मृतक पदमाराम के पहने हुए कपड़ों

को पुलिस द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श पी–16 के जब्त किया गया। उक्त सभी फर्दात् पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि घटना के पहले से वह सब्जी व फ्रूट का ठेला भोपालगढ बस स्टेण्ड पर लगाता है। वह सुबह 8–9 बजे से शाम को 7–8 बजे वहीं पर रहता था। दिनांक 26.02.2017 को वह भोपालगढ बस स्टेण्ड पर ही था। लड़ाई झगड़ा किसके साथ हुआ उसने अपनी आंखों से नहीं देखा था। वह ठेले से सीधा अस्पताल गया था। लड़ाई झगड़ा कहां हुआ उसे इसकी जानकारी नहीं है। वहां पदमाराम के घरवाले बता रहे थे कि नाली की गंदे पानी की निकासी को लेकर हुई धक्का धुम से मृतक पदमाराम सिर के बल सी.सी. रोड़ पर गिरने से उसके सिर में चोट आई थी। उनके सिर में श्रवणराम ने लाठी से कोई चोट नहीं मारी थी। श्रवणराम व पदमराम के बीच में पहले से कोई लड़ाई झगड़ा या रंजिश का नहीं सुना था। पदमाराम व श्रवणराम के घर से उसका घर 2 किलोमीटर दूर है।

पीडब्ल्यू–13 रामूराम ने सशपथ कथन किया कि दिनांक 26 / 02 / 2017 को दिन में 11–11:30 बजे पदमराम के साथ सेवाराम ने लकड़ी से मारपीट की, जिस कारण पदमाराम के सिर में चोट आने के कारण वह नीचे गिर गया। फिर उसे अस्पताल लेकर गये, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद पदमाराम को जोधपुर रैफर कर दिया था। बाद में दिनांक 08 / 03 / 2017 को दौराने इलाज पदमाराम की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा पदमाराम की फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श पी–13 बनाई, जिस पर एक्स स्थान पर इसका अंगूठा निशान है। फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी–14 है। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–15 है। मृतक पदमाराम के पहने हुए कपड़ों को पुलिस द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श पी–16 के जब्त किया गया, जिस पर एक्स स्थान पर इसका अंगूठा निशान है।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि मृतक पदमाराम उसके ससुर लगते थे। वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। वह घटना के बाद पदमाराम से मिलने के लिए अस्पताल गया था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि पदमाराम जी की उम्र लगभग 70–72 साल थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि पदमाराम की मृत्यु घटना के 13 दिन बाद हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि इस घटना से पहले मुल्जिमान व मुस्तगीस के परिवार में आव–जाव था व बोलीचाली थी व अच्छे संबंध थे। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि घटना वाले दिन गंदे पानी की नाली को लेकर औरतों के बीच में बोलचाल हुई थी। गवाह ने इस

सुझाव को भी स्वीकार किया कि उसने सुना था कि औरतों की जब बोलचाल हो रही थी मृतक पदमाराम व श्रवण भी वहां मौके पर चले गये और इन दोनों के बीच में बोलचाल हो गई और धक्का मुक्की हो गई। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि घटना वाली जगह पर सीसी रोड़ बनी हुई है। वह पढा लिखा नहीं है, अंगुठा करता हूं। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि पुलिस ने जो फर्दे प्रदर्श पी 13 से 16 तक बनाई उनमें क्या लिखा है उसे पता नहीं उसने तो केवल अंगुठा किया था।

पीडब्ल्यू—14 प्रेमाराम ने सशपथ कथन किया कि 26 / 02 / 2017 को वह ठेले पर था। घर से फोन आया कि उसके पिताजी पदमाराम, लालाराम छोटा भाई, रणजीत व मीरा के साथ लाठियों से श्रवण उर्फ सेवाराम, घनश्याम मारपीट कर रहे हैं। फिर वह घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पर बेहोश पड़े उसके पिता पदमाराम व भाइयों को अस्पताल लेकर गया। वहां भाइयों को भर्ती किया व पिताजी को मथुरादास माथुर अस्पताल रैफर कर दिया। दिनांक 08 / 03 / 2017 को उसके पिताजी का दौराने इलाज देहांत हो गया। दिनांक 09 / 03 / 2017 को उनका पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस द्वारा पदमाराम की फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श पी—13 बनाई। फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी—14, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी—15 है। मृतक पदमाराम के पहने हुए कपड़ों को पुलिस द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श पी—16 के जब्त किया गया, जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 08 / 02 / 2017 को उसके साथ भी मुलजिमान ने मारपीट की थी। उसके भी चोटें आई थी। मुलजिमान के परिजनों द्वारा आपसी समझाईश के कारण उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की थी।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि भोपालगढ बस स्टेण्ड से घटनास्थल एक किलोमीटर दूर है। यह कहना गलत है कि वह जब पहुंचा तब तक लड़ाई झगड़ा हो गया हो। पुलिस वालों ने उससे पूछताछ की थी व बयान लिये थे। **गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके पहुंचने से पहले उसके पिताजी के चोट लग चुकी थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उसके पिताजी के चोट लगते हुए उसने नहीं देखी थी।** यह कहना सही है कि उसके पिताजी की घटना के 15 दिन बाद में मृत्यु हुई थी फिर कहा 10 दिन बाद हुई थी। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि इस घटना से पहले उसके व श्रवण के बीच में कोई अनबन ना हो। **गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह घटनास्थल पर पहुंचा तब मुल्जिम सेवाराम के भी चोट लगी हुई थी।** गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि इस मुकदमें से पहले की जो घटना उसने बताई थी उस घटना में उसके व श्रवणराम के बीच में मदनलाल मास्टर ने राजीनामा करवा दिया था।

गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उस दिन बोलचाल की घटना नाली की गंदगी को लेकर हुई थी। यह कहना सही है कि वह घटनास्थल पर पहुंचा तब वहां पर 30—40 जने इक्ठठे हो गये थे। यह बात सही है कि घटना 26.02.2017 की है एवं उसके पुलिस में बयान 08.04.2017 को हुए थे। उसके पिताजी की मृत्यु 08.03.2017 को हुई थी। वह दिनांक 08.03.2017 के बाद कहीं बाहर नहीं गया था केवल हरिद्वार गया था। वह पुलिस थाने बहुत बार गया था। 08.04.17 से पहले 1—2 बार थाने गया था। एफ आई आर उसके भाई लालाराम ने लिखी थी। वह रिपोर्ट करने गये तब थाने में साथ नहीं गया था। यह कहना गलत है कि घटना वाली जगह सी सी रोड़ नहीं हो अजखुह कहा कि सीमेंट के ब्लॉक लगे हुए थे। घटना के वक्त उसके पिताजी की उम्र 60 साल के लगभग थी। उन्होंने उसके पिताजी के पहने हुए कपड़े वहीं उतार दिये थे और घर से वो कपड़े गायब भी हो गये थे। यह कहना गलत है कि घटना के दिन नाली को लेकर औरतों के बीच में झगड़ा हुआ हो और उसके पिताजी व श्रवणराम भी वहां गये हों और उनके बीच में धक्कामुक्की हुई हो जिस कारण उसके पिताजी के सड़क पर नीचे गिरने से उनके सिर में वहां पड़े सीमेंट के ब्लॉक से चोटें लगी हो। यह कहना सही है कि इस प्रकरण में गवाह लालाराम मेरा सगा भाई है, गवाह कन्हैयालाल उसके काका का बेटा भाई है। गवाह सुभाष उसके बुआ का बेटा भाई है। गवाह पतासी देवी उसकी माताजी है। गवाह मीरा उसकी भोजाई है। गवाह श्यामलाल उसके बड़े पिताजी का बेटा भाई है। गवाह रामूराम उसका बहनोई है। प्रेमाराम वह स्वयं है। गवाह रणजीत उसका भाई लगता है। यह कहना गलत है कि वह मृतक का पुत्र होने की वजह से झूठा गवाह बना हूं। यह कहना गलत है कि मैं बाद में घटनास्थल पर नहीं पहुंचा हूं।

पीडब्ल्यू—15 डॉ.शरद थानवी ने सशपथ कथन किया कि पदमाराम को दिनांक 26 / 02 / 17 को एमडीएम अस्पताल में भर्ती किया था। जिसका बैड हैड टिकट प्रदर्श पी—17 है। उसके विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार उक्त मरीज जिसके सिर में चोट थी जिसका आपरेशन उसके द्वारा दिनांक 28 / 02 / 17 को किया था, जो प्रदर्श पी—18 है। उक्त ऑपरेशन में उसके साथ डॉ. केतन व डॉ. वल्लभ थे। फर्द प्रदर्श पी—18 के अनुसार मरीज के सिर में टेम्पोरल लोब में कन्ट्रूशन था जो कि निकाला गया व दिमाग में सबड्यूरल हेमेटोमा था उसको भी निकाला गया और हिमोस्टेसिस करने के बाद, वुण्ड को क्लोज करने के बाद मरीज को वार्ड में शिफ्ट किया गया।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि मरीज पदमाराम की उम्र प्रदर्श पी 17 के अनुसार उस समय 68 साल थी। यह कहना सही है कि उसके विभागाध्यक्ष द्वारा

ऑपरेशन करने का कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया था अजखुद कहा कि मौखिक आदेश दिया जाता है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि सर्जरी नोट प्रदर्श पी 18 उसकी कलमी नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि पदमाराम दिनांक 26.02.17 को भर्ती हुआ था व उसका देहांत दिनांक 09.03.17 को हुआ था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि इस चोट का आपरेशन के जरिये इलाज कर मरीज को बचाया जा सकता है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि ऐसी चोट धक्का मुककी में शख्त धरातल पर गिरे तो इस उम्र के आदमी के आ सकती है। यह कहना गलत है कि उनके विभाग द्वारा मरीज के इलाज में लापरवाही की हो जिस कारण मरीज को बचाया ना जा सका हो।

पीडब्ल्यू—16 डॉ. इमरान शेख ने सशपथ कथन किया कि वह दिनांक 09/03/2017 को एसएन मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ प्रदर्शक के पद पर कार्यरत था। उस रोज पुलिस प्रतिवेदन पर पदमाराम का पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा किया गया था, जिसमें वह संयोजक के तौर पर शामिल था। बोर्ड में डॉ. शिल्पा अग्रवाल एवं डॉ. मुक्तेश्वर गुप्ता सदस्य के तौर पर थे। पोस्टमार्टम दिन के 01.15 पीएम पर शुरू किया गया। शव की पहचान मृतक के पुत्र प्रेमाराम तथा पुलिस अधिकारी राजीव भादू द्वारा की गई । पुलिस द्वारा दी गई सूचना अनुसार मृतक की मृत्यु सिर में गंभीर चोट से होना बताया गया। मृतक अस्पताल अस्पताल में 26/02/17 को भर्ती हुआ था और उसकी मृत्यु 08/03/17 को 9:43 पीएम पर हो गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान चोट संख्या 01— एक फटा हुआ घाव टांके लिया हुआ जिसका आकार 6 सेमी गुणा 2 सेमी। घाव को सर्जरी हेतु सी आकर में पीछे की तरफ बायें टेम्पोरल पैराईटल और आगे की तरफ फ्रंटल रीजन की तरफ लम्बा किया गया था। घाव के नीचे डिसेक्शन करने पर पर पूरे स्कैल्प में हिमेटोमा पाया गया व हिमेटोमा के निचे डयूरा का टांकों के रिपेयर करना पाया गया। बायीं पैराईटल हड्डी भी ऑपरेशन में निकाली गई थी व डिसेक्सन में मौजूद नहीं पाई गई। बायें तरफ के मस्तिष्क में हिमेटोमा व नीलगू टैमपोरल रीजन में पाया गया। मस्तिष्क में इंट्रा वेंट्रिकूलर खून का रिसाव भी पाया गया। चोट संख्या 2, 3 व 4 मृत्यु से पूर्व 14 से 21 दिनों के भीतर होना पाया गया था। सभी चोटें मृत्यु से पूर्व ऐंटिमोर्टम प्रकृति की होना पाया गया था। पोस्टमोर्टम के बाद मेडिकल बोर्ड ने एकराय होकर मृतक की मृत्यु का कारण सिर में आई चोट से कोमा में जाने के कारण होना अंकित किया। मृतक का विसरा सैम्पल नहीं लिया गया था। पीएमआर रिपोर्ट प्रदर्श पी—12 है, जो इसकी कलमी है, जिस पर सी से डी

उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ डॉ मुक्तेशवर के हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि चोट संख्या 2, 3 व 4 साधारण प्रकृति की चोटें थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि पोस्टमार्टम किया उस समय चोट संख्या 1 टांके लगा हुआ घाव था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि मृतक पदमाराम का पोस्टमार्टम में अंकित चोट संख्या 1 की जगह पर मृतक का इलाज के दौरान ऑपरेशन हो चुका था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि पोस्टमार्टम के दौरान सिर की चोट के अलावा शरीर के किसी भी अन्य हिस्से पर कोई भी गंभीर चोट व सारे अंग में कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। यह कहना सही है मृतक की आयु 68 वर्ष थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उम्र के साथ शरीर की ज्यादातर हड्डियां कमजोर हो जाती है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि ठोस धरातल पर सिर के बल उंचाई से गिरने पर चोट संख्या 1 में वर्णित चोट आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उसने मृतक का इलाज नहीं किया था, केवल पोस्टमार्टम किया था।

पीडब्ल्यू–17 डॉ.मुक्तेश्वर गुप्ता ने सशपथ कथन किया कि यह दिनांक 09 / 03 / 2017 को एसएन मेडिकल कॉलेज में सहायक आचार्य सर्जरी विभाग के पद पर कार्यरत था। उस रोज पुलिस प्रतिवेदन पर पदमाराम का पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा किया गया था, जिसमें यह सदस्य के तौर पर शामिल था। बोर्ड में डॉ0 शिल्पा अग्रवाल सदस्य एवं डॉ0 इमरान शेख अध्यक्ष के तौर पर थे। मृतक का विसरा सैंपल नहीं लिया गया था। पीएमआर रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 है, जिसपर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि पी एम आर की इबारत उसके द्वारा नहीं लिखी गई थी, उसके केवल हस्ताक्षर है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि पी एम आर प्रदर्श पी 12 में वर्णित चोट संख्या 2, 3 व 4 साधारण प्रकृति की थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि सामान्य तौर पर अधिक आयु में हडडियां कमजोर हो जाती है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति सख्त धरातल पर उंचाई से गिरे तो चोट संख्या 1 जैसी चोट आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। मैने मृतक का इलाज नहीं किया था।गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि दो व्यक्तियों में अगर धक्का धूम हो और यदि सख्त धरातल पर सिर के बल गिरे तो चोट संख्या एक आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

पीडब्ल्यू–18 जयमलराम ने सशपथ कथन किया कि वह दिनांक 26.02.2017 को पुलिस थाना भोपालगढ़ में एएसआई के पद पर तैनात था। उस रोज थाना प्रभारी भी था। प्रार्थी लालाराम द्वारा एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 उसके समक्ष पेश करने पर प्रकरण संख्या 32 / 2017 दर्ज कर अनुसंधान पूनाराम हैड कॉन्स्टेबल को सुपुर्द किया। उसने गवाह श्रीमती मीरादेवी से तफ्तीश कर उसके बयान उसके कथनानुसार लेखबद्ध किए थे। प्रकरण की पत्रावली जुर्म प्रमाणित मानकर थानाधिकारी राजीव भादू ने उसे अग्रिम अनुसंधान हेतु सुपुर्द की। उसने दिनांक 06 / 03 / 2017 को आरोपी श्रवणराम उर्फ सेवाराम को जरिये फर्द प्रदर्श पी–3 व आरोपी घनश्याम को जरिये फर्द प्रदर्श पी–4 के गिरफ्तार किया था। उसे मुलजिम श्रवणराम उर्फ सेवाराम ने पुलिस अभिरक्षा में होते हुए धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी कि दिनांक 26.02.2017 को इसने पद्माराम मेघवाल के साथ मारपीट की, जिस लाठी से मारपीट की, वो लाठी इसने अपने घर के कमरे में बिस्तर के पीछे छिपा कर रखी है, फर्द इत्तला प्रदर्श पी–19 है, माफिक सूचना लाठी बरामद की, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–20 है। फर्द नक्शा नजरी बरामदगी लाठी मुलजिम श्रवणराम की निशांदेही से तैयार की गई, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–21 है। पीडित पद्माराम, एमडीएम अस्पताल में आईसी वार्ड में जैर इलाज भर्ती के दौरान उसके बयान लेने हेतु एमओ साहब, वार्ड इंचार्ज को तहरीर दी गई, जो की प्रदर्श पी–22 है। एमओ साहब ने बताया कि पद्माराम बयान देने की स्थिति में नहीं है। बाद में पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु थानाधिकारी राजीव भादू को सुपुर्द की थी।

दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि परिवादी लालाराम कितना पढालिखा था, इस बात की उसे जानकारी नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि लालाराम ने एफआईआर प्रदर्शपी–1 कहां से लिखाकर लाया, उसे पता नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि एफआईआर में घटना दिनांक 26.02.2017 को सुबह 11:30 बजे की बताई है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि घटना स्थल थाना भोपालगढ से करीब 1.5–2.0 किलोमीटर की दूरी पर है। **गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि एफआईआर, घटना के तुरंत बाद दर्ज नहीं कराई थी, शाम को 03:00 बजे रिपोर्ट पेश की थी।** वह एफआईआर पेश करने के तुरंत बाद घटना स्थल पर नहीं गया था, क्योंकि उसने अनुसंधान पूनाराम हैड कॉन्स्टेबल को सुपुर्द कर दिया था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि घटना नाली से कचरा निकालने की बात को लेकर हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि दोनों मुल्जिमान की

गिरफ्तारी से पहले हमारे अनुसंधान अधिकारी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर लिया था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उक्त दोनों मुल्जिमान को उसने भोपालगढ़ थाने में गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान को तलब कर थाने बुलाया था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि प्रदर्शपी–22 पर डॉ. के नाम के नीचे उनके पदनाम की सील लगी हुई नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि प्रदर्शपी–22 पर क्रमांक नहीं लिखा है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि अनुसंधान हेतु पत्रावली उसे पुनः प्राप्त हुई, इस संबंध में पत्रावली पर कोई फर्द नहीं हैं, अजखुद कहा कि केसडायरी में अंकन है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि मुल्जिम श्रवणराम ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना थाने में दी थी। **गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि सूचना प्रदर्शपी–19 के दोनों मौतबीर पुलिसकर्मी है।** गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शपी–3 व प्रदर्शपी–4 में मोबाईल से सूचना देने का हवाला नहीं है तथा न ही मोबाईल नंबर अंकित है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि बरामदगी स्थल प्रदर्शपी–20 व प्रदर्शपी–21 आबाद ईलाके में स्थित है तथा वहां पर लोगों का आना जाना रहता है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि प्रदर्शपी–20 व प्रदर्शपी–21 के दोनों मौतबीर भोमाराम व जोगाराम उसके अधीनस्थ पुलिसकर्मी थे। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उसने कोई स्वतंत्र मौतबीर बुलाये, परंतु आसपडोस के कोई व्यक्ति मौतबीर बनने को तैयार नहीं थे। सूचना प्रदर्शपी–19, प्रदर्शपी–20 तथा प्रदर्शपी–21 की फर्दों में उसने स्वतंत्र मौतबीर बुलाया हो, तथा कोई मौतबीर बनने को तैयार नहीं हआ हो, इस बात का हवाला नहीं है। यह सही है कि मैंने स्वतंत्र मौतबीर नहीं बनने के कारण किसी को कोई नोटिस नहीं दिया था। **गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि स्वतंत्र मौतबीर लाने हेतु कौन गया था, तथा किस–किस ने प्रयास किया था, इस संबंध में कोई हवाला नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि फर्द बरामगदी प्रदर्शपी–20 बोरडी की लाठी पर खून का निशान होने के साक्ष्य नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि बरामदशुदा लाठी की जैसी बोरडी की लाठी ग्रामीण परिवेश में आसानी से मिल जाती है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि प्रदर्शपी–20 लाठी बरामदगी पर शील्डचेपा नहीं की थी, सिर्फ चेपा की थी। जिस सील से उन्होंने चेपा बनाया था, उस सील का पृष्ठांकन प्रदर्शपी–20 पर नहीं है।** गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि लाठी से कोई अंगुलियों के निशान उन्होंने नहीं लिए थे। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि जिस मकान से बोरडी की लाठी बरामद करना बताया है, उस मकान में श्रवण व उसका परिवार तथा श्रवण के माता–पिता संयुक्त रूप से निवास करते है। श्रवण के तीन संतान हो तो उसे इस बारे में जानकारी नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि घटना नाली साफ करने की बात को लेकर अचानक विवाद

होने के कारण घटित हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि सीआर नंबर 33/2017 मुकदमा मुल्जिम श्रवणराम ने पद्माराम, लालाराम व पदमाराम की पत्नी मीरा के विरूद्ध दर्ज कराया था। मुझे याद नहीं है कि घटना घटित होने के बाद मुल्जिम श्रवणराम उर्फ सेवाराम व घनश्याम, परिवादी पक्ष से पहले आए हो तथा सीआर नंबर 33/2017 मुकदमा दर्ज कराया हो। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि घटना स्थल पर सीमेंट रोड़ बनी हुई है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि मीरा के पुलिस बयान प्रदर्शडी–4 के अनुसार घटना नाली के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में झगडे के कारण हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उसके अनुसंधान में दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई लडाई या मुकदमा होना नहीं आया था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि मृतक पदमाराम के बयान लेने जब वह अस्पताल गया था तो उसने पाया कि वह एक वृद्ध व्यक्ति था। पदमाराम पूर्व में बीमार रहता हो, इस बात की जानकारी उसे नहीं है। **यह गलत है कि उसके अनुसंधान में यह भी आया हो कि अचानक लडाई झगडे के दौरान पदमाराम धक्का–मुक्की में सिर के बल रोड पर गिरने से उसे चोट लगी हो।** गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि परिवादी पक्ष से मिलकर उसने मुल्जिमान की एफआईआर 33/2017 जानबूझकर बाद में दर्ज की हो।

पीडब्ल्यू–19 पूनाराम ने सशपथ कथन किया कि वह दिनांक 26/02/2017 को पुलिस थाना भोपालगढ में हैड कॉन्सटेबल के पद पर तैनात था। उस रोज प्रकरण संख्या 32/2017 में बतौर अनुसंधान अधिकारी घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना का नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 बनाया। दौराने अनुसंधान परिवादी लालाराम के बयान उसके कथनानुसार लेखबद्ध किए थे। तत्पश्चात् इसका स्थानांतरण होने से थानाधिकारी के निर्देशानुसार इसने पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु जयमलराम एएसआई को सुपुर्द की।

दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि एफआईआर नंबर 33/2017 में घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका उसके द्वारा बनाया गया था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि घटना स्थल प्रदर्शपी–2 के दोनों मौतबिर कन्हैयालाल व सुभाष, परिवादी लालाराम लेकर आया था। मौतबिर कन्हैयालाल व सुभाष, परिवादी लालाराम के रिश्तेदार हो तो उसे इस बात की जानकारी नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि घटना स्थल पर घटना के कोई आलामात नजर नहीं आए थे। अजखुद कहा कि घटना स्थल सीसी सडक होने से तथा घटना पुरानी होने से घटना के आलामात नहीं मिले। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि नाली में कचरे की सफाई को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया

कि उसने परिवादी लालाराम के पुलिस बयान गवाह के कथनानुसार लिखे थे, उसकी तरफ से कोई बात घटाई या बढाई नहीं गई थी। उक्त बयान के अनुसार दोनों पक्षों के मध्य इस घटना के अलावा कोई वाद–विवाद या मुकदमेबाजी नहीं थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उक्त प्रकरण में घटना स्थल तथा लालाराम के बयान के अतिरिक्त उसने कोई अनुसंधान नहीं किया था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि घटना स्थल भोपालगढ थाने से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है।

पीडब्ल्यू–20 राजीव भादू ने सशपथ कथन किया कि वह दिनांक 09/03/2017 को पुलिस थाना भोपालगढ में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस रोज मुकदमा संख्या 32/17 का अनुसंधान उसके जिम्मे होने पर उसने एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में मृतक पदमाराम के पोस्टमार्टम की कार्यवाही की। दौराने कार्यवाही रूबरू मौतबिरान श्यामलाल व रामूराम के मृतक पदमाराम की लाश का मुआयना कर फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श पी 13, पदमाराम की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी–14, मृतक पदमाराम की लाश की फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी–15, मृतक पदमाराम के वक्त घटना पहने पारचात की जब्ती फर्द प्रदर्श पी–16 मुर्तिब की तथा मृतक पदमाराम की पीएमआर रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 को शामिल पत्रावली किया तथा गवाहान् के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। दिनांक 02/03/2017 को मजरूब पदमाराम एमडीएम अस्पताल में जैर इलाज था जिसके इलाज हेतु जगराराम हैड कानि0 द्वारा तहरीर प्रदर्श पी–23 दी, जिसपर चिकित्सक ने मजरूब के बयान देने की स्थिति में नहीं होना बताया था। इसी प्रकार दिनांक 06.03.2017 को मजरूब पदमाराम एमडीएम अस्पताल में जैर इलाज था, जिसके इलाज हेतु जयमलराम एएसआई द्वारा तहरीर प्रदर्श पी–24 दी, जिसपर चिकित्सक ने मजरूब के बयान देने की स्थिति में नहीं होना व मजरूब के वेंटीलेटर पर होना बताया। उसके द्वारा दिनांक 09.03.2017 को मृतक पदमाराम के शव का पोस्टमार्टम करने हेतु मेडिकल बोर्ड बनाने हेतु तहरीर दी गई, जो प्रदर्श पी–25 है। पुलिस अधीक्षक का अधीक्षक एमडीएम अस्पताल जोधपुर के नाम बोर्ड बनाने का पत्र प्रदर्श पी–26 है। अधीक्षक एमडीएम अस्पताल जोधपुर द्वारा बनाये गये बोर्ड का आदेश प्रदर्श पी–27 है। दिनांक 09.03.17 को उसके द्वारा मृतक पदमाराम के शव का पोस्टमार्टम करने हेतु मेडिकल बोर्ड को दिया गया चालान शव लाश प्रदर्श पी–28 है। उसके द्वारा अनुसंधान के दौरान दिनांक 01.05. 2017 को मृतक पदमाराम के एमडीएम अस्पताल में भर्ती के दस्तावेजों की सत्यप्रति प्राप्त करने हेतु तहरीर दी गई जो प्रदर्श पी–29 है। प्रकरण की चाक एफआईआर

प्रदर्श पी–30 है। उसके द्वारा अस्पताल में भर्ती मजरूब के रंगीन फोटोग्राफ शामिल पत्रावली किये गये जो प्रदर्श पी–32 है, जो कुल 5 फोटोग्राफ है। दौराने अनुंसधान मजरूब लालाराम के 02 एक्स–रे प्लेट अस्पताल से प्राप्त कर शमिल पत्रावली किया, जो प्रदर्श पी–33 है। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त श्रवणराम उर्फ सेवा व घनश्याम के विरूद्ध जुर्म द्वारा 341, 323, 307, 302 / 34 भादसं का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उसके द्वारा उपरोक्त धाराओं में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्शपी–31 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मृतक पदमाराम की मृत्यु घटना के करीब 10–12 बाद हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उक्त 10–12 दिन में मृतक पदमाराम के बयान दर्ज नहीं हुए। अज खुद कहा कि मृतक पदमाराम जैर ईलाज अस्पताल में बयान देने की स्थिति में नहीं था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 22, 23 व 24 में भाग ए से बी किसका कलमी है मैं नहीं बता सकता हूं। अज खुद कहा कि दोनों ईबारत संबंधित चिकित्सक के द्वारा लिखकर हस्ताक्षर किये गये। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उक्त दोनों ईबारत उसके सामने नहीं लिखी गई तथा दोनों हस्ताक्षर के नीचे सील नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उक्त दोनो ईबारत लिखने वाले चिकित्सकों के उसने बयान नहीं लिये थे। **गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि मृतक पदमाराम के ईलाज से संबंधित लिये गये दस्तावेज प्रदर्श पी 17 अस्पताल से सत्यापित प्रति ली गई है मूल दस्तवेज नहीं है।** गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मृतक पदमाराम के ईलाज से संबंधित विशिस्टियां की जानकारी नहीं है। **आज मुझे याद नहीं है कि इस प्रकरण के कॉस केस की एफआईआर श्रवणराम के द्वारा मुकदमा संख्या 33 / 17 दर्ज करवायी हो। यह बात सही है कि मुकदमा संख्या 33 / 2017 पुलिस थाना भोपालगढ में दर्ज हुआ है। उक्त प्रकरण की सत्यापित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जयमलराम एएसआई के द्वारा दर्ज किया गया है।** चाक एफआईआर प्रदर्श डी 08 व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श डी 09 है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मुकदमा संख्या 33 / 2017 का अनुसंधान पूर्ण कर प्रकरण में नतीजा संख्या 22 / 2017 असंज्ञेय अपराध में धारा 323 भादस में उसके द्वारा न्यायालय में पेश किया गया था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 33 / 2017 की पत्रावली उसके द्वारा देखी गई थी। मुकदमा संख्या

32/2017 व 33/2017 के घटना स्थल का मुआयना उसके द्वारा नहीं किया गया था। वह यह नहीं बता सकता कि दोनों मुकदमों के घटना स्थल के नक्शे मौके एक ही स्थान के है या नहीं। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मुकदमा संख्या 32/17 व 33/17 एक ही घटना से संबंधित हो। अंतिम रिपोर्ट प्रदर्श डी 10 का हिस्सा ए से बी ''तफ्तीस व पत्रावली पर आई साक्ष्य................सेवाराम के सिर में मारी'' सही है जिस पर सी से डी उसें हस्ताक्षर है। यह कहना गलत है कि इस घटना में अग्रेषर मृतक पदमाराम हो और वह अपने घर से लाठी कर श्रवणराम को मारी हो। **गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि मुकदमा संख्या 33/2017 में मेरी तफ्तीस में यह आया है कि मेरी तफ्तीस में आया है कि ''मुल्जिम श्रवणराम जो अपने कमठे मजदूरी के पैसे लेने कस्बे में गया हुआ अपने मोटरसाईकिल से आकर गली के तिराहे पर रूका तथा अपनी माता गीता देवी को आवाज देकर बुलाया तो सेवाराम उर्फ श्रवणराम को आया देखकर पदमाराम पुत्र नाघूराम ने ललकारते हुए अपने घर से लाठी लेकर आया आते ही गली के तिराहे पर खडे मुल्जिम श्रवणराम के सिर पर मारी''। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि मुकदमा नंबर 33/2017 में परिवादी लालाराम से मिलकर उसने झुठी रिपोर्ट पेश की हो।** उसने घटना स्थल का निरीक्षण किया था। आज उसे याद नहीं है कि घटना स्थल पर सी.सी. ब्लॉक लगे हुए थे। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 में एक्स स्थान पर सीसी ब्लॉक लगे हुए थे। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि पदमाराम अपने घर से लाठी लेकर आया हो व मुल्जिम श्रवणराम के मारी हो उस धक्का—धूम में मृतक पदमाराम सीसी ब्लॉक्स पर गिरा हो जिससे उसके सिर में चोट आई हो, जिससे उसकी 10—12 दिन बाद में मृत्यु हुई हो। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि सीआर नंबर 33/2017 में श्रवणराम व सुगनादेवी के चोटें आई थी, जिसका चिकित्सक से मेडीकल करवाया था। पदमाराम के साथ कोई मारपीट नहीं की हो। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि इस घटना से पहले परिवादीगण व आरोपीगण के बीच कोई प्रकरण थाने में दर्ज नहीं हुआ था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उक्त घटना नाली में गंदगी को लेकर दोनों पक्षों में हुई थी।

10. इस प्रकार पत्रावली पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो उक्त प्रकरण के संबंध में प्रथम प्रश्न पैदा होता है कि **क्या अभियुक्तगण श्रवणराम उर्फ सेवा व घनश्याम द्वारा मृतक पदमाराम की मृत्यु साशय**

कारित की?

इसके संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। इसके संबंध में लालाराम पीडब्ल्यू–1 परिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–1 पुलिस थाना भोपालगढ़ में पेश कर कथन किये गये कि दिनांक 26 / 02 / 2017 को समय करीब 11:30 ए.एम. पर उसकी माताजी उसके घर के सामने बनी नाली में से कचरा निकाल रही थी, **उसी वक्त गीता पत्नी बक्साराम उसकी मां के पास आई और नाली से कचरा निकालने हेतु मना किया** और नही मानने पर जान से मार देने की धमकी देकर चली गई। थोड़ी देर बाद ही सेवाराम, मुकेश, घनश्याम, सजन, राकेश, भंवरी, सुगनाई, महीपाल निवासीगण भोपालगढ़, गणपतराम व दो–तीन अन्य व्यक्तियों ने एकराय होकर उसके घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया, तब उसने देखा कि इन सभी के हाथों में लाठियां, सरिया व पत्थर आदि थे। मुकेश ने आते ही मीरा को पकड़कर चोटी आदि खींचकर नीचे गिरा दी और अन्य व्यक्तियों ने लाठियों, सरियों से उसके परिवार के सदस्य पर हमला कर दिया, जिस कारण उसे, उसके पिता पदमाराम, भाई रणजीत तथा उसकी मां के भी चोटें आई। जब ये दर्द के मारे चिल्लाये तो चिल्लाने की आवाज सुनकर श्यामलाल, कन्हैयालाल, सुभाष, प्रेम आदि ने उन्हें छुड़ाया। उक्त तथ्यों के आधार एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–30 दर्ज की गई। दौराने ईलाज मृतक पदमाराम की मृत्यु हो जाने पर धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध जोड़ा गया।

11. उक्त तथ्यों के आधार पर महत्वपूर्ण गवाह परिवादी स्वयं लालाराम पीडब्ल्यू–1 है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए श्रवणराम उर्फ सेवाराम, घनश्याम, मुकेश, भरत, सज्जन, गीता देवी, भंवरी, सज्जाई सभी उसके घर के पास आये एवं उसकी पत्नी मीरा व उसकी माता पतासी देवी के साथ मारपीट की, जिससे उन सभी के चोटें आई, उसके सिर पर चोटें लगी, उसके पॉच टॉके आये, उसके अंगुली के भी लगी थी। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि मुल्जिम श्रवणराम का मकान उसके मकान से एक बाड़ा व एक मकान छोड़कर है। मुल्जिम श्रवणराम के सिर पर चोटें आई हो तो उसे पता नही। उसके सिर में चार–पॉच टांके आये थे। उसके सिर में मुल्जिम घनश्याम व श्रवणराम उर्फ सेवाराम ने चोट मारी थी। उसके पिता पदमाराम के सिर में पहले श्रवणराम ने लाठी की तीन चार चोट मारी, फिर नीचे गिरने पर घनश्याम ने लाठियों से सिर में चोट मारी। स्वयं अधिवक्ता मुल्जिम ने लालाराम को यह सुझाव दिया है कि मुल्जिम श्रवणराम चौराहे

पर खड़ा हो और उसके पिता पदमाराम लाठी लेकर गये और श्रवणराम के सिर में लाठी की मारी, फिर श्रवणराम ने उसके पिता से लाठी छीनकर उसके सिर में को मारी हो, गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया है। घटना का द्वितीय गवाह कन्हैयालाल पीडब्ल्यू–2 है, जो कि मृतक पदमाराम का भतीजा है, जिसने मुल्जिम श्रवणराम व घनश्याम द्वारा पदमाराम एवं लालाराम के साथ मारपीट करने के कथन किये है। पदमाराम के साथ मारपीट होने के कथन किये है, परन्तु गवाह ने मीरा के साथ मारपीट होने के कथन नहीं किये है। गवाह ने प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार किया है कि गन्दे पानी की नाली को लेकर मृतक पदमाराम व मुल्जिमान के बीच आपस में बोलचाल होती रहती है। पदमाराम की पत्नी पतासी व उसकी पुत्रवधु मीरा अपने बच्चों को नाली में लेट्रिन करवाती थी तथा बाद में पानी नाली में बहा देती थी, जिससे वह गंदा पानी मुल्जिमानों के घर के आगे बहता था, इस गंदे पानी की बात को लेकर पदमाराम की पत्नी पतासी, पदमाराम का पुत्र लालाराम व मुल्जिमानों की घर की औरतों के बीच आपसी बोलचाल व लड़ाई–झगड़ा हुआ था। गवाह ने इस बात को भी विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार किया है कि श्रवणराम उर्फ सेवाराम के साथ भी इस घटना में मौके पर आने के बाद मारपीट हुई थी, जिससे उसके सिर में भी चोटें आई थी। अन्य महत्वपूर्ण गवाह पीडब्ल्यू–3 सुभाष जो कि मृतक पदमाराम का भांजा है, ने श्रवणराम उर्फ सेवाराम तथा घनश्याम द्वारा पदमाराम व लाालराम के साथ मारपीट करना वर्णित किया है। गवाह ने प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन हल्ला सुन कर वह दौड़कर तिराहे वाली गली में गया तो उसने उसके मामा पदमाराम को नीचे पड़े देखा, पदमाराम के सिर में गंभीर चोट आई हुई थी, व खून बह रहा था। मौके पर श्रवणराम के भी चोट लगी हुई थी व खून आ रहा था। उसने दोनों पक्षों को समझाकर घर भेजा था। परिवादी पक्ष व मुल्जिमानों के बीच नाली के गंदे पानी को लेकर बोलचाल व झगड़ा हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण गवाह पीडब्ल्यू–4 मीरा है, जो अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करती है कि श्रवणराम ने उसके ससुर की सिर में लाठी से वार किया, जिससे वह नीचे गिर गये और गिरने के बाद उन पर कई वार किये। प्रतिपरीक्षा में मीरा द्वारा कथन किये गये कि इस घटना से पहले उनके व मुल्जिमान के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। घटना एकदम से नाली की बात को लेकर हुई थी। श्रवणराम ने भी उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था। श्रवणराम व घनश्याम के अलावा और लोगों ने भी वहॉ पत्थर फैंके थे। पदमाराम बोलचाल सुनकर मौके पर आया था। पदमाराम की उम्र 70

वर्ष थी। पदमाराम की मृत्यु घटना के पश्चात एम.डी.एम. अस्पताल में हुई थी। पतासी पीडब्ल्यू–5 जो कि घटना का मूल कारण है, अर्थात् अभियोजन कहानी के अधीन पतासी घर के आगे नाली साफ कर रही थी एवं सुगनाई आई और उसे नाली से हटा दिया। मुल्जिमान द्वारा उसके साथ, मीरा व लालाराम के साथ मारपीट करने के कथन करती है। प्रतिपरीक्षा में पतासी कथन करती है कि उसके व श्रवणराम के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। दोनों परिवार एक दूसरे की शादी में आते थे व राजी–खुशी थे। घटना एकदम नाली की बात को लेकर बोलचाल से हुई थी। घटना के पश्चात मुल्जिम श्रवणराम ने भी उनके विरूद्ध एक मुकदमा दर्ज करवाया था। पदमाराम उसके साथ ही रहते थे परन्तु पदमाराम की दुकान प्रेम के घर के पास लालाराम के घर में थी। घटना के बाद वह आई थी, उसने मारपीट होते नहीं देखी। मुकेश ने उसके मुक्के से मारी थी। गवाह पीडब्ल्यू–12 श्यामलाल उक्त घटना के संबंध में पदमाराम के घर वालों के बताये अनुसार नाली के पानी की निकासी को लेकर हुई धक्का धुम से मृतक पदमाराम के सिर के बल सी. सी. रोड पर गिरने से सिर में चोटें आना वर्णित करता है। पीडब्ल्यू–13 रामूराम जो कि पदमाराम का जवांई है, जो इस बात को स्वीकार करता है कि घटना के दिन गंदे पानी की नाली की बात को लेकर औरतों के बीच बोलचाल हुई थी। बोलचाल के दौरान पदमाराम व श्रवणराम मौके पर चले गये और इन दोनों के बीच बोलचाल हो गई व धक्का धूम हो गई। पीडब्ल्यू–14 प्रेमाराम जो कि मृतक का पुत्र है, ने घटना के पश्चात पहुंचना बताया तथा पिता के चोट लगना नहीं देखा एवं मुल्जिम श्रवणराम उर्फ सेवाराम के चोट लगी होना वर्णित किया है। घटना के समय मृतक की उम्र 60 वर्ष होना बताया है। उक्त गवाह ने भी इस बात की ताईद की है कि बोलचाल की घटना नाली की गंदगी को लेकर हुई थी। उक्त गवाह को भी अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा मृतक पदमाराम व श्रवणराम के मध्य लड़ाई झगड़ा होने का सुझाव दिया गया है।

12. उक्त सभी साक्षियों की साक्ष्य से यह निष्कर्ष सामने आता है कि गवाह पतासी पत्नी पदमाराम नाली की गंदगी साफ कर रही थी, जिसे सुगनी द्वारा रोक दिया गया था एवं औरतों के बीच गंदी नाली को लेकर बोलचाल हुई थी। उक्त बोलचाल का हल्ला सुनकर मृतक पदमाराम, लालाराम, कन्हैयालाल, सुभाष व मीरा मौके पर आये थे। पदमाराम, लालाराम, मीरा, पतासी तथा मुल्जिमान श्रवणराम व घनश्याम के मध्य बोलचाल के अधीन लड़ाई झगड़ा हुआ था। उक्त झगड़ा जनित

आवेश की तीव्रता में श्रवणराम द्वारा पदमाराम के सिर में लाठी की मार दी गयी, जबकि पूर्व में पदमाराम व श्रवणराम के मध्य कोई रंजिश नहीं थी एवं मृतक पदमाराम व लालाराम तथा अभियुक्तगण श्रवणराम उर्फ सेवाराम व घनश्याम दोनों पक्ष ही महिलाओं की बोलचाल के बाद मौके पर इक्कठे हो गये थे। यदि इसके संबंध में चिकित्सा साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो चिकित्सा साक्षी गवाह पीडब्ल्यू–8 ऋषिराज शर्मा द्वारा लालाराम पुत्र पदमाराम, रणजीत पुत्र पदमाराम तथा मीरा पुत्री लालाराम का चोट प्रतिवेदन तैयार किया गया है, इसके साथ ही पदमाराम पुत्र नागोराराम मृतक का भी चोट प्रतिवेदन तैयार किया है। लालाराम, रणजीत के सामान्य प्रकृति की चोटें व मीरा के जाहिरा चोट नहीं होने व शरीर पर जगह जगह दर्द होने के कथन किये है, इसके साथ ही पदमाराम मृतक के सिर पर 6 गुणा 1 सेन्टीमीटर सिर के बाये भाग पर मसल डीप लेसरेटेड वुण्ड पाया है एवं दो रगड़नुमा चोट व एक खरोच छोटी अंगुली पर होना जाहिर किया है, अर्थात् उक्त सभी चोटें कुन्द हथियार की सामान्य प्रकृति है। उसी दिन डॉक्टर ऋषिराज शर्मा द्वारा अभियुक्त श्रवणराम उर्फ सेवाराम का भी चोट प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें चोट संख्या–1 लेसरेटेड वुण्ड 2 गुणा 1.5 सेन्टीमीटर सिर के दाये भाग मसल डीप होना वर्णित की गयी है एवं चोट संख्या–2 नीलगू निशान पाया गया है एवं साथ ही सुगना देवी का भी चोट प्रतिवेदन तैयार किय गया है, जिसमें नीलगू निशान दायें कंधे पर होना अंकित किया गया है एवं शरीर पर जगह जगह दर्द होना जाहिर किया है। उक्त गवाह से मात्र मृतक पदमाराम का 70 वर्ष का होना एवं बुढ़ापे में हड्डिया कमजोर हो जाना एवं थोड़ी सी चोट से हड्डिया फ्रैक्चर हो जाना प्रति परीक्षा की गयी है।

13. पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल पीडब्ल्यू–9 से भी बुढ़ापे में हड्डिया कमजोर हो जाने के संबंध में एवं मृतक के 68 साल होने के संबंध में प्रतिपरीक्षा की गयी है।

14. चिकित्सा साक्ष्य एवं स्वयं घटना के पीड़ित लालाराम को स्वीकृति के रूप में दिये गये सुझाव कि मुल्जिम श्रवणराम चौराहे पर खड़ा था एवं पदमाराम घर से लाठी लेकर गया और श्रवणराम के सिर में लाठी मारी एवं श्रवणराम ने पदमाराम से लाठी छीनकर पदमाराम के सिर में मारी, इस बात की ताईद करता है कि श्रवणराम द्वारा पदमाराम के सिर में लाठी की चोट कारित की गयी है एवं उक्त सिर में कारित की गई चोट से पदमाराम की मृत्यु कारित हुई है।

15. अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या श्रवणराम उर्फ सेवाराम का आशय पदमाराम की मृत्यु कारित करने का था अथवा नहीं?

16. इसके संबंध में यह उपर विवेचन के अधीन यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि पदमाराम व श्रवणराम के घर की औरतों के मध्य नाली के गंदी पानी को लेकर बोलचाल हुई थी एवं इसी बोलचाल को लेकर अपनी दुकान से पदमाराम निकलकर घटनास्थल पर आया था एवं पतासी पत्नी पदमाराम घटना से पूर्व ही घटनास्थ्ल से घर के अन्दर चली गयी एवं घटनास्थल पर बोलचाल को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ एवं उक्त झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में श्रवणराम द्वारा मृतक पदमाराम के सिर में लाठी की चोट कारित की गयी। यदि चोट की प्रकृति को भी देखा जावे तो पदमाराम के सिर पर लाठी की अथवा हथियार की एक ही चोट कारित है। इसके संबंध में अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया जावे तो

1. 1998 Supreme Court Cases (Cri)712 Shiv Karan and another Vs State of Rajasthan में यह माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि

" Criminal Trial-Failure to explain injuries on accused- Accused persons sustaining a number of injuries in the incident- No explanation offered by the prosecution - Nature of injuries showing that they were not superficial- Held, in the circumstances ot the case, the appellants are entitled to the benefit of resonable doubt."

2. RLW 1984 Page 596 Lal Chand Vs The State of Rajasthan में यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

" (e) Penal code-S. 302- Motive-Close relationship between accuesed and deceased- No motive to finish victim- offence does not fall u/s 302"

(f) Penal code&s. 302 or 325- Head injury caused by lathis- proved fatal but not proved who caused the fatal blow- Accuesed wanted to give a severe beating - case fall us 325/34 not u/s 302/34.

3. Cr. L.R. (Raj.) 1980 page 525 Mangu Son of Bhula Advasi में यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

" Penal code- sec 304 part II & 325- Occurrence all of sudden- No previous enmity- Accused throwing stone & hitting deceased on lobule resulting in his death- Held, accused, cannot have knowledge that he is

likely to cause death and he is guilty u/s 325 & not u/s 304 Part II.

4. Cr. L.R. (Raj.) 1985 page 383 Deraj & Ors. Vs The State of Rajasthan. में यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :—

" Penal code-Sec. 302/34 & 325/34 - Acused D displeased and annoyed with deceased- Taking his brother acused to teach lesson to deceased- Held, common intention was to cause grievous injury and not death and accused can be convicted u/s 325/34 and not u/s 302/34.

5. 1979 Cr.L.J. 1207, Shri Narain and another Vs The State of Rajasthan में यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :—

" (A) Penal Code (45 of 1860), S. 300- Charge of murder- Appreciation of evidence- Two accused causing one injury each, to the deceased - Post mortem report- No indication that the injuries were severally fatal- in absence of proof as to which particular injury was fatal, it was not safe to convict any of the two accused for murder - Conviction altered to Section 325, Penal code. (Evidence Act (1 of 1872), S.34.

(B) Penal Code (45 of 1860), S 34 - Charging two accused separately under S. 300 - Charge not indicating the vicarious liability of the two accused- conviction under S. 300 not Sustainable with the aid of S.34 .

17. उक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो पक्षकारो के मध्य निम्नलिखित स्वीकृति स्थिति है :—

1. पक्षकारों के मध्य पूर्व में कोई भी रंजिश अथवा शत्रुता नहीं थी।

2. पक्षकारों के मध्य गंदे पानी की नाली की बात को लेकर परिवारों की महिलाओं के मध्य हुई बोलचाल के कारण घटनास्थल पर पहुंचने पर अचानक से घटना कारित हुई है।

3. मृतक पदमाराम के सिर में एक ही चोट कारित की गयी थी।

4. पत्रावली पर इस बात की साक्ष्य के अभाव है कि अभियुक्त श्रवणराम उर्फ सेवाराम को इस बात को ज्ञान हो कि उक्त चोट से मृतक पदमाराम की मृत्यु कारित हो जावे।

5. मीरा द्वारा इस बात को स्वीकार करना कि घटनास्थल पर अभियुक्त श्रवणराम व घनश्याम के अलावा अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी पत्थर फैंके गये थे।

6. पदमाराम की आयु लगभग 70 वर्ष की थी।

7. उक्त प्रकरण में हेतुक अथवा आशय का अभाव है।

उक्त स्वीकृत स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांत पूर्ण रूप से चस्पा होते है।

18. उक्त प्रकरण में अभियुक्त श्रवणराम उर्फ सेवाराम व घनश्याम के मध्य सामान्य आशय का अनुमान लगाने के लिये सर्वप्रथम अभियोजन को यह साबित करना है कि अभियुक्त श्रवणराम का आशय पदमाराम की मृत्यु कारित करने का था एवं उस आशय की जानकारी रखते हुए घनश्याम द्वारा उक्त कृत्य अभियुक्त श्रवणराम उर्फ सेवाराम के साथ भागीदारी कारित की गयी थी। सामान्य आशय का अनुमान परिस्थितियों के अधीन तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि निष्कर्ष अप्रतिरोध्य हो। उक्त प्रकरण में अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि अभियुक्त श्रवणराम उर्फ सेवाराम पूर्व से ही परिवादीगण अथवा उनके परिवार से क्रोधित था एवं वह उन्हें सबक सिखना चाहता था। अतः हेतु एवं आशय के अभाव में सह—अभियुक्त के आशय की कोई कल्पना नहीं की जा सकती।

यदि उक्त तथ्यों के संबंध में अन्वेषण अधिकारी पीडब्ल्यू—20 राजीव भादू की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मुकदमा संख्या 33/2017 पुलिस थाना भोपालगढ़ में दर्ज किया गया था एवं प्रदर्शडी—1 से प्रदर्शडी—10 का अवलोकन किया जावे तो प्रदर्शडी—10 के अधीन उपरोक्त अन्वेषण अधिकारी राजीव भादू द्वारा स्वीकार किया गया था कि मुल्जिम श्रवण जो अपने कमठे मजदूरी के पैसे लेने कस्बे में गया हुआ था अपने मोटरसाईकिल पर आकर तिराहे पर रूका तथा अपनी माता गीता को आवाज देकर बुलाया तो सेवाराम उर्फ श्रवणराम को आया देखकर पदमाराम ललकारते हुए लाठी लेकर आया आते ही गली के तिराहे पर खड़े श्रवणराम के सिर पर मारी। अतः अभियोजन की उक्त साक्ष्य से यह स्वीकृत स्थिति है कि मृतक पदमाराम द्वारा प्रथम वार किया गया था एवं झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में श्रवणराम द्वारा मृतक पदमाराम के सिर पर लाठी से चोट कारित की गयी है।

19. उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन यह साबित है कि लाठी का उपयोग करते समय अभियुक्त श्रवणराम उर्फ सेवाराम उक्त लाठी को काम में लाते समय वह यह जानता था या यह विश्वास रखने का कारण रखता था कि उससे

स्वेच्छया घोर उपहति पदमाराम के कारित हो सकती है।

20. अतः अभियुक्तगण श्रवणराम उर्फ सेवाराम को धारा 302 व 307 भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित विशिष्टियॉ के कुछ संयोग से छोटा अपराध कारित करने के कारण दोषमुक्त किया जाता है एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में व कुछ विशिष्टयों के संयोग से धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध साबित होने के कारण अभियुक्त श्रवणराम को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं साथ ही धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

21. जहॉ तक अभियुक्त घनश्याम का प्रश्न है उपर विवेचना के अधीन यह विवेचित किया जा चुका है कि घनश्याम व श्रवणराम उर्फ सेवाराम द्वारा मृतक पदमाराम, लालाराम, मीरा के साथ मारपीट की गयी है।

22. अतः घनश्याम को धारा 323 के अधीन दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि पदमाराम के आई चोट की प्रकृति एवं चोट की आवृति जो कि सिर में कारित चोट एक ही है एवं साथ ही धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: **आदेश** ::

23. परिणामतः अभियुक्तगण अभियुक्तगण (1) अभियुक्तगण श्रवणराम उर्फ सेवाराम पुत्र बक्साराम, निवासी—मेहरा चौक, पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर एवं (2) घनश्याम पुत्र मदनलाल, निवासी मेहरा चौक, पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जाधपुर को को धारा 307 अथवा 307 / 34 व 302 अथवा 302 / 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है तथा अभियुक्त श्रवणराम उर्फ सेवाराम पुत्र बक्साराम को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 व 325 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में तथा अभियुक्त घनश्याम पुत्र मदनलाल को अपराध अन्तर्गत धारा 341 व 323 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(अनुभव सिडाना)
अपर सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर जिला

24. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। दिनांक 30/06/2026

25. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण, विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

29. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष एक ही मौहल्ले व गांव के है। अभियुक्तगण अपने परिवार में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति है। अभियुक्तगण की पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं अभियुक्त की आयु को देखते हुए अभियुक्तगण को सुधरने का का अवसर प्रदान किया जावें तथा उनके प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे।

26. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त श्रवणराम व घनश्याम द्वारा जिस पर प्रकार से उक्त घटना कारित की गयी है। इस स्तर पर यदि अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाया गया तो निःसंदेह समाज में इसका विपरीत संदेश जायेगा और अपराधियों के हौसले और अधिक बुलंद होगे। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे अपराधियों के प्रति नरमी का रूख न अपना कर विधि द्वारा विहित कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

27. उपरोक्त तर्को पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विधि का यह सिद्धान्त है कि कारित अपराध एवं दिये जाने वाले दण्ड में युक्तियुक्त संबंध होना आवश्यक है साथ ही कारित अपराध से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव आदि तथ्यों पर भी विचार करना आवश्यक है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्तगण को उनके कार्य एवं उसके परिणामस्वरूप के अनुसार दण्डित किया जाना चाहिये। ऐसी परिस्थितियों में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख न अपनाते हुए उन्हें निम्न प्रकार से सिद्धदोष अपराध के लिये दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश ::

28. अतः अभियुक्तगण (1) अभियुक्त श्रवणराम उर्फ सेवाराम पुत्र बक्साराम, निवासी– मेहरा चौक, पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर को आरोपित अपराध

अन्तर्गत धारा 341, 323 व 325 भारतीय दण्ड संहिता के लिये व अभियुक्त एवं (2) अभियुक्त घनश्याम पुत्र मदनलाल, निवासी मेहरा चौक, पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जाधपुर को दोषसिद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता में निम्न प्रकार से दण्डादिष्ट किया जाता है :—

अभियुक्त श्रवणराम उर्फ सेवाराम पुत्र बक्साराम :—

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	धारा	दण्ड
1	श्रवणराम उर्फ सेवाराम	341 भारतीय दण्ड संहिता	3 माह के साधारण कारावास एवं 500 / —रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड 7 दिन का अतिरिक्त कारावास।
2		323 भारतीय दण्ड संहिता	1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 / — रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का अतिरिक्त कारावास।
3		325 भारतीय दण्ड संहिता	4 वर्ष के साधारण कारावास एवं 20,000 / — रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का अतिरिक्त कारावास।

अभियुक्त घनश्याम पुत्र मदनलाल :—

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	धारा	दण्ड
1	घनश्याम	341 भारतीय दण्ड संहिता	3 माह के साधारण कारावास एवं 500 / —रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड 7 दिन का अतिरिक्त कारावास।
2		323 भारतीय दण्ड संहिता	1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 / — रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का अतिरिक्त कारावास।

29. अभियुक्तगण श्रवणराम उर्फ सेवाराम व घनश्याम को दी गयी सभी मूल सजाएं साथ—साथ चलेगी। उपरोक्तानुसार अभयुक्तगण का सजा वारण्ट तैयार किया

जावे।

30. प्रकरण में जब्त वजह सबुत अपील नहीं होने की सूरत में अपील अवधि की समाप्ति के छः माह पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिये जावे तथा अपील होने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मालखाना आर्टिकल का निस्तारण किया जावे।

31. इस प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा अनुसंधान, जॉच एवं विचारण के दौरान पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानन्तर्गत मूल सजा में समायोजित की जावे।

32. धारा 363 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में अभियुक्तगण को उक्त निर्णय एवं दण्डादेश की प्रति निःशूल्क प्रदान की जावे।

33. यह भी आदेश दिया जाता है कि पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मृतक पदमाराम के वारिसान को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाये जाने की अनुशंषा की जाती है। निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला को नियमानुसार प्रेषित की जावे, साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि अर्थदण्ड की उक्त राशि परिवादी पक्ष को संदत की जावें।

(अनुभव सिडाना)
अपर सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर जिला

34. निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 30 / 06 / 2026 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(अनुभव सिडाना)
अपर सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर जिला